

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 765 बैठक दिनांक 07/06/2024 को को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमैनशिप में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No. P2/972/24 Shri Evanshu Agrawal, Village - Dobra, Tehsil-Bamori, District- Guna (M.P.) 473001, Prior Environment Clearance for Dobra Stone Quarry with a Stone (Gitti) - 5,000 m³/Year, M-Sand -15,000 m³/Year, having a lease area of 2.00 Ha., Khasra No. - 16/2, Village Dobra, Tehsil Bamori, District Guna (M.P.). B2.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री ईवांशु अग्रवाल पिता श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री ईवांशु अग्रवाल पिता श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल निवासी गाँव- डोबरा तहसील- बमोरी जिला- गुना, (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी भूमि-(नॉन फॉरेस्ट लैंड) सहमती पर खसरा नं. 16/2	2.00 Hectare.
स्थल	खसरा नं. 16/2 (म.प्र.) गाँव- डोबरा तहसील- बमोरी जिला- गुना, (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 3250/उत्खनिपट्टा/गुप03/2023 दिनांक 13/03/2024 के द्वारा	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है ।
टॉर	लागू नहीं है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-15,000 घनमीटर/वर्ष
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 300 दिनांक 09.05.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.393 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 300/खनिज/2024 दिनांक 09.05.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 300/खनिज/2024 दिनांक 09.05.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बीलखेड़ा जिला गुना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Q/2022 दिनांक 07.11.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	एम् सैंड क्रेशर प्लांट अंदर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण -3 <ul style="list-style-type: none"> ● पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 00

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

<p>प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति</p>	<p>दक्षिण दिशा – उत्खनिपट्टे क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में 190 मीटर पर जल संरचना परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया कि उक्त जल भराव उत्खनिपट्टे क्षेत्र के भूमिस्वामी एवं उनके परिवार के सदस्य की निजी भूमि पर है जो कि इनके स्वयं के द्वारा खुद के व्यय से निजी उपयोग हेतु जल संगृहीत करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था एवं वर्तमान में यहाँ पर खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह किसी भी प्रकार का चेक डैम/स्टॉप डैम अथवा शासकीय योजना के तहत निर्मित जल संरक्षण संरचना नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में भूमिस्वामियों के शपथ पत्र नोटराइज्ड एफिडेविट प्रस्तुत किये गए।</p> <p>उत्तर दिशा – उत्खनिपट्टे क्षेत्र के उत्तर दिशा में 194 मीटर की दूरी अन्य खदान का साइट ऑफिस स्थित है</p> <p>उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में 116 मीटर पर एक हॉल रोड है</p>
<p>प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति</p>	<p>नया प्रकरण है।</p>
<p>जन सुनवाई</p>	<p>लागू नहीं है।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 190 मीटर पर जो जल संरचना परिलक्षित हो रहा है यह उनके स्वयं के एवं उनके परिवार के सदस्य के उपयोग हेतु निजी भूमि खसरा क्रमांक 16/2 एवं 57 पर बनाया गया है जिसको भूअभिलेख एवं खसरा पांचशाला के द्वारा स्पष्ट किया गया एवं यह आगे जाकर किसी नदी नाले से नहीं मिल रहा है ना ही किसी नदी नाले से निकल रही है एवं यह किसी भी तरह का शासन द्वारा निर्मित स्टॉप डैम अथवा चेक डैम नहीं है। प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे एवं आस पास की लगभग 100 बीघा जमीन उनकी स्वयं की एवं परिवार की है जिसको सिंचित करने हेतु उक्त संरचना स्वयं के व्यय से निर्मित की गयी थी एवं वर्तमान में यहाँ पर खेती की जा रही है।

उक्त संरचना के सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमिस्वामी के नाम से उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-15,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित स्टोन क्रेशर प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

3. म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
4. म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.39 लाख प्रति वर्ष।

6.

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. And Sedimentation Tank for M-sand Three of 3m X 3m X 3 m each	70,000 60,000	---	15,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 200 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,00,000	---	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr	NIL	---	50,000
5	Plantation (2400 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @200rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary (~550no's)	1,10,000	---	10,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 nos on evacuation route up to 200 m both side (@ Rs 300/tree) 1st year- 50 nos at Village temple @Rs 200 (boundary wall & fence is present these places) 1st year- 1700 nos for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	30,000 10,000 85000		20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	5,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~571 m long) (@Rs 200/m)	1,14,200	---	10000
7	Curtaining around the crusher unit : total 100 m long (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet) No. of Sheets = 100/2 = 50	50,000		2,000
8	Wire fencing (~571 m long) (@Rs 200/m)	1,14,200	---	10000
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	40,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	---	---	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc . 8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	----
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		5,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	20,000		
17.	Cost for the M-sand & crusher plant pollution control equipment	2,50,000		50,000
	Total	10,24,200		2,39,500

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर डोबरा के बैंक खाते में ग्राम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 6 माह के भीतर जमा की जावेगी।
योग	
	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- आंवला, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, सीताफल आदि	550
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 110 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	1700
4	ग्राम डोबरा स्थित मंदिर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

2. Case No. P2/987/24 Shri SHAILESH CHOURASIYA, Lessee, Om Shanti Aditya Colony Narmada Road, JABALPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 1.81ha. (Dolomite-17959 TPA & SoapStone-290 TPA) (Khasra No. 210/1) Village-Bagrai, Tehsil- Shahpura, District- Jabalpur (M.P.) (B-2) SIA/MP/MIN/464022/2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेश चौरसिया पिता स्व. श्री आर. पी. चौरसिया ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शैलेश चौरसिया पिता स्व. श्री आर. पी. चौरसिया निवासी ओम शांति आदित्या कालनानी, नर्मदा रोड, जिला-जबलपुर(म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(निजी भूमि स्वयं-नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 210/1	1.81 Hectare.
स्थल	खसरा नं. 210/1 (म.प्र.) गाँव- बगरई तहसील- शाजापुर जिला- जबलपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 12491-92/उत्खनिपट्टा/न.क्र.-13/2023 दिनांक 20/09/2023 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्रा -17959 टन प्रतिवर्ष डोलोमाइट एवं 290 टन प्रतिवर्ष सोपस्टोन है। और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मात्रा -17959 टन प्रतिवर्ष डोलोमाइट एवं 290 टन प्रतिवर्ष सोपस्टोन है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 23.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

खदानें	खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.810 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 23.02.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 23.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत किठौर जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Q/2023 दिनांक 02.03.2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर प्लांट लीज में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण – पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 330 मीटर पर एक पक्का रोड स्थित है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –17959 टन प्रतिवर्ष डोलोमाइट एवं 290 टन प्रतिवर्ष सोपस्टोन।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लांट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर खेत लगे हुये है जिसमें अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
5. 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.15 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 st year	2 nd year	Recurring
A. For environment Protection				
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 300 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	150,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (2175 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @200rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary (~575no's) & 725nos at the non-mining area	115,000 1,45,000	---	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 300 m (approach road) m both side (@ Rs 300/tree) 2nd year- 50 no's at nearest school @Rs 200 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 st year - 725 no's for distribution by nearby villagers	30,000 36250	10,000	20,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	(@ Rs 50/tree)			
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~571 m long) (@Rs 200/m)	114,200	---	15000
	Curtaining with the GI sheet around the ML area 400m long (per sheet 2mX4m) Rs 1000/per sheet	2,00,000		10,000
7.	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	500
Labour Welfare				
8.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
10.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc . 8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	4,000
Emergency Rescue Plan				
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
Solid Waste Management				
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for carbon mitigation	20,000		
	Total	10,49,450	10,000	2,15,500
		10,59,450		2,15,500

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर बगराई में ग्राम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 6 माह के भीतर जमा की जावेगी।
योग	
	50,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2175 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैस:-आंवला, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगले जलेबी, सीताफल आदि	575
2.	गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैस:- आवलाँ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि	725
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैस:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	725
4	ग्राम बगराई स्थित शासकीय माध्यमिक शाला पलवई में 50 पौधे रोपे जाएंगे।	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

- 3. Case No. P2/1000/24 Shri GOPAL AGRAWAL, R/o-Village-Panigaon, Tehsil-Kannod, District- Deaw, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry and Saleable Overburden in an area of 1.00 ha. (Stone (Gitti) 4,000 m³/Year & Saleable Overburden - 3,292 m³/Year) (Khasra No. 1058) Village Panigaon, Tehsil Kannod, District Dewas (M.P.). (B-2) SIA/MP/MIN/469278/2024. DEIAA to SEIAA.**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल पिता हुकूमचंद अग्रवाल ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल पिता हुकूमचंद अग्रवाल ग्राम पानीगाँव तहसील कन्नोद, जिला देवास मध्य प्रदेश
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 1058 (निजी भूमि –नॉन फॉरेस्ट लैंड) Hectare.1.00
स्थल	ग्राम पानीगाँव तहसील कन्नोद, जिला देवास मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2850/खनिज/उ.प./574/2016-17 दिनांक 30/12/2017 के द्वारा अवधि दिनांक 22.01.2018 से 21.01.2028 तक स्वीकृति दी गयी है।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला खरगोन के पत्र क्रमांक- 195/DEIAA/2017 दिनांक 26/12/2017 के द्वारा 4,000 m ³ /Year Stone हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4,000 m ³ /Year Stone (Gitti) & Max. 3,292 m ³ /Year Saleable Overburden हेतु आवेदन

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 4,000 m ³ /Year Stone (Gitti) & Max. 3,292 m ³ /Year Saleable Overburden है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10/खनिज/2024-25 दिनांक 03.04.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10/खनिज/2024-25 दिनांक 03.04.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10/खनिज/2024-25 दिनांक 03.04.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पानीगांव जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14.04.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा - 265 मी. पर नाला एवं लीज क्षेत्र से लगा हुआ निजी भूमि पर प्रस्तावक का साईट कार्यालय स्थित है
	दक्षिण दिशा- 210 मी. पर नाला
	दक्षिण पश्चिम दिशा -115 मी. पर एक आइसोलेटेड घर है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया की उक्त मकान खेती सम्बन्धी सामान, चारा भूसा आदि रखने के उद्देश्य से बनाया

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	गया था जिसके प्रमाण हेतु भूमिस्वामी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि केवल सामान रखने के उपयोग में लाया जाता है एवं इसमें कोई निवास नहीं करता है ।
	उत्तर पश्चिम – उत्खनिपट्टे से 175 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में एक वेयरहाउस है जिससे की 200 मीटर तक का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जावेगा
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-61 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	50 पौधे 7.5 मी. बैरियर जोन में लगाये गए व 100 पौधे ग्राम वासियों को वितरित किये गए = कुल 150 पौधे
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 4,000 m³/Year Stone (Gitti) & Max. 3,292 m³/Year Saleable Overburden
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.87 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 400 m Long) 1. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep 2. Settling Tank is of 4m wide, 5m long & 2.5m deep All settling tanks will be of double "S" pattern.	60,000	10,000
3	Maintenance of Approach road (Road length approx. 250 m, Width 6.0 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	62500	10,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4	Monitoring twice a year AAQM@10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5	Plantation (Total 1200 saplings will be planted)		
	A. Inside the Lease Area (In Barrier Zone & Non Mining Zone) @200rs./tree 1st year - up to ~495m periphery of Mine lease boundary (550 nos.)	10,000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) 1 st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 300/tree) 2 nd year- 50 nos. at health centre @ Rs 200 (as boundary wall is present there) 1 st year- 500 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	30,000 10,000 25,000	15,000
	C. Sowing of the Local seeds species, Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,500
	D. Soil & manure bought from outside @Rs 250/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 86.8 Cubic meter soil needed for no. of 700 trees	21,700	2,000
6.	Total Wire Fencing = (~495 m long) - {15% completed= 75 m} (85% Remaining to be installed = 420 m @200 Rs./m)	84,000	15,000
	Curtaining with the GI sheet around the ML area 300m long (per sheet 2mX4m) Rs 1000/per sheet	1,50,000	20,000
7.	PUC certification of vehicles (1 Dumpers @ Rs 500 per dumper)	----	500
Labor Welfare			
8.	Drinking Water Facility at rest shelter (20 x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	10,000	3,000
10.	Occupational health check-up for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	16,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	2,000
13.	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	
	b) Pit and Composting	3,000	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	c) Transport of Dry Waste	4,000	2,000
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for mitigation of carbon.	20,000	-
	Total	6,47,200	1,87,500

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पानीगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 6 माह में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बैंक खाते में जमा करी जावेगी	40,000/-
कुल	40,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर ज़ोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	550
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम पानीगांव के मंदिर परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुगंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण

4. Case No. P2/968/24 Shri Nitin Roy, WARD NO. 11, RANI MOHALLA, TEHSIL ISAGARH, DISTRICT ASHOKNAGAR (M.P.) 473335, Prior Environment Clearance for Garetha Stone Boulder & M-sand Quarry an Area - 4.00 ha., Khasra No. - 43, at Village – Garetha, Tehsil- Pichhore, Distt. - Shivpuri (M.P.) with {Maximum Production – 50,000 Cubic Meter per year (Stone Boulder - 5,000 M3 & M-sand 45,000 M3)}, B2 Case.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री श्री नितिन रॉय श्री बाबु लाल रॉय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव, एसीरिज इन्वायरोटैक इंडिया प्रा.लि. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नितिन रॉय श्री बाबु लाल रॉय वार्ड नं. 11, रानी मोहल्ला, तहसील- ईसागढ़, जिला - अशोक नगर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	43, शासकीय – नॉन फॉरेस्ट लैंड नोईयत – पहाड़	4.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम गरेठा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 476 दिनांक 14/03/2024 के द्वारा स्वीकृत।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं															
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं															
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	<p style="text-align: center;">माईनिंग प्लान</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>B.P. No.</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25°8'0.33"N</td> <td>78°14'34.81"E</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25°8'0.64"N</td> <td>78°14'42.29"E</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25°7'54.25"N</td> <td>78°14'42.24"E</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25°7'54.26"N</td> <td>78°14'34.78"E</td> </tr> </tbody> </table> <p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 593 दिनांक 25/04/2024 के अनुसार उक्त खदान नवीन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जायेगी।</p>	B.P. No.	Latitude	Longitude	A	25°8'0.33"N	78°14'34.81"E	B	25°8'0.64"N	78°14'42.29"E	C	25°7'54.25"N	78°14'42.24"E	D	25°7'54.26"N	78°14'34.78"E
B.P. No.	Latitude	Longitude														
A	25°8'0.33"N	78°14'34.81"E														
B	25°8'0.64"N	78°14'42.29"E														
C	25°7'54.25"N	78°14'42.24"E														
D	25°7'54.26"N	78°14'34.78"E														
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित हैं।															
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट															
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – ग्राम गरेठा, दिनांक 01/04/2024															
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं															
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	नहीं।															
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 50000 (पत्थर बोल्डर –5,000 व एम-सैंड– 45,000) घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर 50000 (पत्थर बोल्डर –5,000 व एम-सैंड– 45,000)घनमीटर/वर्ष है।															
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 592 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।															
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 592 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि															

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 592 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गरेठा जिला शिवपुरी के पत्र दिनांक 16/12/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम पेसा के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में पेड़ नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 101 मी. पर मंदिर, गरेठा वॉटर फिल्टर प्लांट 356 मी. दक्षिण दिशा— कच्चा रास्ता 120 मी., आबादी 201 मी पूर्व दिशा— कैनल एवं कच्चा रास्ता 252 मी. एवं रोड़ 340 मी. पश्चिम दिशा— तालाब 212 मी.
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 593 दिनांक 25/04/2024 के अनुसार उक्त खदान नवीन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जायेगी ।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान से उत्तर दिशा में 101 मी. पर मंदिर है चुकि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः उत्तर दिशा 99 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुये 200 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन मेप अनुमोदित खनन योजना में सम्मिलित है। खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कृषि भूमि है, जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उस तरफ के क्षेत्र में एम.एस.शीट (6 मी. X 3 मी.) से

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

विंड ब्रेकिंग वॉल बना दी जायेगी। खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में उत्खनित क्षेत्र है, जिसके विषय में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह गड्ढे पूर्व में हुये अवैध खनन से हुये है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – पत्थर 50,000 (पत्थर बोल्डर –5,000 व एम-सेंड– 45,000) घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 25,03,500/- एवं रिकरिंग राशि रु. 5,46,800/- प्रति वर्ष ।

Sr. No.	Particular	Capital Cost in Rupees	Recurring Cost in Rupees
1.	Water Sprinkling through Water Tanker for both haul road and transportation road, all the incoming and outgoing trucks (Length Approx. 250m & width Approx. 5m)	Nil	20,000
2.	Approach Road Maintenance@Rs.500/- (Length Approx. 250m & width Approx. 5m)	1,25,000	10,000
3.	Cost of water of 5000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days, Regular Uses	Nil	2,25,000
4.	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 3600 x Rs.200	8,70,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 200 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution 1000(1000 X Rs. 50)		
5.	Wire Fencing(along lease boundary) including pillar 802m@500/-mtr.	4,01,000	5000
6.	Garland Drain (802m long,2m depth and 1.5m wide) And three Settling tank preparation in SS pattern (10m wide, 2m depth & 02m long)	1,00,000	10,000
7.	Monitoring (AAQM & Water twice in a year)	Nil	40,000
8.	Drinking Water Facility for labour and staff(one water cooler/20-40 labour @ 10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance.	10,000	2,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

9.	Separate toilets for Male and Female @ 15000*2 and Rs.3000/-year for maintenance	30,000	3000
10.	Occupational Medical Check-up of workers@500*2*25	Nil	25,000
11.	PPES – 25 workers @ 1500 per person	37500	5,000
12.	First Aid & Fire fighting equipment's @ 25000*2 & Rs.2000/year for maintenance	50,000	2,000
13.	Shelter rooms for labours (20*20) = 400 square feet @ Rs.800/sqft.	3,20,000	10,000
14	Two dustbins & solid waste management's @Rs.5000/system and Rs.2000/year maintenance.	10,000	2,000
15	Half Yearly PUC certification for 10 trucks @ 1000/truck.	Nil	10,000
16	Grazing land development Rs.@5000 for mines upto 5.00 ha and Rs.10,000 for mines >5.00 ha.(grass-Dicanthium, Punia, Siran,Themda)	50,000	5000
17	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights @ Rs.8000/light,website development and maintenance @ Rs.5,000/mine,Web Camera 04(@3500/camera,Display board at mine entrance@2000/board etc. (website will be updated every three months)	50,000	5000
18	VT Trainings for 40 workers(minimum @Rs.500/labour)	Nil	12,500
19	Wind breaking wall along the crusher/M-sand Plant	1,50,000	15,000
20	Carbon Sequestration – LED bulb distribution	50,000	Nil
21	For equipments to reduce pollution due to crusher and m-sand plant	1,50,000	15,000
22	Construction of wind breaking wall by MS sheet around the lease boundary towards agricultural land.	1,50,000	15,000
	Total	25,03,500	5,46,800

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल गरेठा में अधोसंरचना विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 1.00 लाख शिक्षक पालक संघ में भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	1,00,000 / -

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास, पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	गरेठा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, आंवला, अमरूद। इमली, आम, कुसुम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
4	नॉन माईनिंग जोन में	नीम, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभाविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

- अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. Other information-

- (i) No of settling with dimension-10m wide, 2m depth & 02m long, Garland drain length - 802m, mining area periphery length - 802m.
- (ii) Fodder area ha. and amount of expenditure – Rupees 50,000
- (iii) Specify area in surface plan as a non- mining area – 1.15 ha.

5. Case No. P2/969/24 Shri NITIN CHOCSRSEY, CHAUKSEY BHAWAN, KAMLAGANJ, WARD NO. 33 KAMLA GANJ, SHIVPURI, Distt. – SHIVPURI

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

(M.P.) 473551, Prior Environment Clearance for Bhadora Flagstone, Khanda/Dhoka Quarry an Area - 2.00 ha., Khasra No. - 799/34, at Village – Bhadora, Tehsil- Pichhore, Distt. - Shivpuri (M.P.) with Bhadora Flagstone, Khanda/Dhoka Quarry of 2.00 Hectare Area, Khasra No. 799/34 in Village Bhadora, Tehsil - Pichhore, District – Shivpuri (M.P.) {Maximum Production – 11,876 Cubic Meter (Flagstone – 10,001 M3 and Khanda / Dhoka - 1875M3)}. B2 Case.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन चौकसे आ. स्व. श्री सुरेश चौकसे ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव, एसीरिज इंवायरोटैक इंडिया प्रा.लि. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज													
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नितिन चौकसे आ. स्व. श्री सुरेश चौकसे कमलागंज, ए.बी. रोड, शिवपुरी म.प्र.													
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	799/34, शासकीय – नॉन फॉरेस्ट लैंड नोईयत- चारागाह	2.00 हेक्टेयर												
स्थल	ग्राम भडोरा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)													
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 475/उत्खनिपट्टा/क्यू./एल.352/2024 दिनांक 14/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।													
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं है ।													
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	—													
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	—													
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">माईनिंग प्लान</th> </tr> <tr> <th>Boundary Point</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25° 7'49.83"N</td> <td>77°58'46.70"E</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25° 7'50.12"N</td> <td>77°58'51.20"E</td> </tr> </tbody> </table>		माईनिंग प्लान			Boundary Point	Latitude	Longitude	1	25° 7'49.83"N	77°58'46.70"E	2	25° 7'50.12"N	77°58'51.20"E
माईनिंग प्लान														
Boundary Point	Latitude	Longitude												
1	25° 7'49.83"N	77°58'46.70"E												
2	25° 7'50.12"N	77°58'51.20"E												

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	3	25° 7'48.75"N	77°58'51.12"E
	4	25° 7'47.35"N	77°58'51.20"E
	5	25° 7'45.73"N	77°58'51.20"E
	6	25° 7'45.49"N	77°58'44.90"E
	7	25° 7'47.33"N	77°58'45.52"E
	8	25° 7'48.94"N	77°58'46.37"E
	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 570 दिनांक 22/04/2024 के अनुसार उक्त खदान नवीन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जायेगी।		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं हैं।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम –ग्राम भडोरा,		दिनांक 08/04/2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	नहीं		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 11,876 (फर्शी पत्थर –10,001, खण्डा/ढोका –1875) घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर 11,876 (फ्लेगस्टोन–10,001, खण्डा/ढोका –1875) घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 569 दिनांक 22/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 569 दिनांक 22/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 569 दिनांक 22/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भडोरा जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम पेसा के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- आबादी 154 मी., कच्चा रास्ता 230 मी.
	दक्षिण दिशा- नाला 324 मी
	Other information- (i) Fodder area 0.41 ha. And amount of expenditure 50,000 Rupees. (ii) non- mining area- 0.41 ha. area in surface plan.
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 570 दिनांक 22/04/2024 के अनुसार उक्त खदान नवीन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जायेगी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – पत्थर 11,876 (फर्शी पत्थर –10,001, खण्डा/ढोका –1875) घनमीटर/वर्ष
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14,66,500/- एवं रिक्रिंग राशि रु. 4,04,40/- प्रति वर्ष ।

Sr. No	Particular	Capital Cost in	Recurring
--------	------------	-----------------	-----------

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		Rupees	Cost in Rupees
1.	Water Sprinkling through Water Tanker for both haul road and transportation road, all the incoming and outgoing trucks (Length Approx. 500m & width Approx. 5m)	Nil	20,000
2.	Approach Road Maintenance@Rs.500/- (Length Approx. 500m & width Approx. 5m)	2,50,000	10,000
3.	Cost of water of 4000ltr.@0.15 rupees/litre for 300 days), Regular Uses	Nil	180,000
4.	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1300 x Rs.200	4,05,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 200 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution 900 (900 X Rs. 50)		
5.	Wire Fencing (along lease boundary) including pillar 583m @500/-mt	2,91,500	5000
6.	Garland Drain (583m long,2m depth and 1.5m wide) And Settling tank preparation in SS pattern (10m wide, 2m depth & 02m long)	80,000	10,000
7.	Monitoring (AAQM & Water twice in a year)	Nil	40,000
8.	Drinking Water Facility for labour and staff(one water cooler/20-40 labour @ 10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance.	10,000	2,000
9.	Separate toilets for Male and Female @ 15000*2 and Rs.3000/-year for maintenance	30,000	3000
10.	Occupational Medical Check-up of workers@500*2*20	Nil	20,000
11.	PPES – 20workers @ 1500 per person	30,000	5,000
12.	First Aid & Fire fighting equipments @ 25000*2 & Rs.2000/year for maintenance	50,000	2,000
13.	Shelter rooms for labours (10*20) = 200 square feet @ Rs.800/sqr. ft	1,60,000	10,000
14.	Two dustbins & solid waste management's @Rs.5000/system and Rs.2000/year maintenance.	10,000	2,000
15.	Half Yearly PUC certification for 5 trucks @ 1000/truck.	Nil	5000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

16	Grazing land development Rs.@5000 for mines upto 5.00 ha and Rs.10,000 for mines >5.00 ha.(grass-Dicanthium,Punia,Siran,Themda)	50,000	5,000
17	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights @ Rs.8000/light,website development and maintenance @ Rs.5,000/mine,Web Camera 04(@3500/camera,Display board at mine entrance @2000/board etc. (website will be updated every three months)	50,000	5,000
18	VT Trainings for 20 workers(minimum @Rs.500/labour)	Nil	10,000
19	Carbon sequestration – LED bulb distribution	50,000	Nil
	Total	14,66,500	4,04,400

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल शंकरपुर डोंडा में अधोसंरचना विकास हेतु राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ में भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 / -

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास, पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
4	भडोरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, आंवला, अमरूद। इमली, आम, कुसुम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	900

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No. P2/1005/24 VINITA SHARMA, lease owner, R/o- B-7, Sahkari Parisar, Kalpana Nagar, Raisen Road, District- Bhopal Madhya Pradesh- 462022. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.760 ha. (Stone – 5080 m3/Year) (Khasra No. 39,45,46,47) Village-Ratatal, Tehsil-Huzur & District-Bhopal, Madhya Pradesh. (TOR) SIA/MP/MIN/475521/2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

7. Case No. 10758/2023 Shri SUMANT GOSWAMI, Partner, M/s MAA SHARDA MINERALS, 22,RAI COLONY, MPSEB SUB STATION KATNI (M.P) Prior Environment Clearance for Laterite 40139 TPA and Fireclay- 8952 TPA in an area of 4.950 ha. (Khasra No. 312 P) Village –Majhgawan, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.). (EIA) SIA/MP/MIN/475831/2024.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri SUMANT GOSWAMI, Partner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंचायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SUMANT GOSWAMI, Partner, M/s MAA SHARDA MINERALS, 22,RAI COLONY, MPSEB SUB STATION KATNI (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	312 P (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.950 hectare.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

(सरकारी / निजी)	
स्थल	Village –Majhgawan, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.).
लीज स्वीकृति	अनुबंध दिनांक 17 / 08 / 2023.
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कटनी के पत्र क्रमांक 231 दिनांक 01 / 10 / 2018 के द्वारा लेटराईट-49,392 टीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
टॉर	सेक की 705वीं बैठक दिनांक 27 / 12 / 23 को अनुशंसित। सिया के पत्र क्रमांक 2799 दिनांक 12 / 02 / 24 के द्वारा Laterite 40139 TPA and Fireclay- 8952 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Laterite 40,139 TPA and Fireclay- 8,952 TPA आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Laterite 40139 TPA and Fireclay- 8952 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 03 / 07 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.55 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 03 / 07 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 03 / 07 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मझगावां जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 14 / 04 / 2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 4
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – 350 मी. पर मानव बसाहट है। दक्षिण दिशा- लीज से लगी हुई मानव बसाहट है एवं पूर्व दिशा- लीज

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	से लगे हुये शेड हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 100 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ा गया।
	पश्चिम दिशा-लीज से लगा हुआ एक पॉली हाऊस है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि 500 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सरपंच द्वारा सामाजिक कार्य के अन्तर्गत किये गये कार्यों का आदि के प्रमाण पत्र दिया गया है परन्तु इस संबंध में प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान का संचालन अप्रैल, 2024 से बंद है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	Dust suppression Measures Water sprinklers from Mine site to approach road (200m)	35000.00	5000.00
2	Settling Tank	25000.00	5000.00
3	Monitoring once a year AAQM 8500 WATER 5500 & NOISE 500	Nil	14500.00
4	Plantation 5000 @50	250000.00	5000.00
	Labor Welfare		
5	Drinking Water Facility and rest shelter (10 x 20 feet)	15000.00	1000.00
6	Occupational health checkup in a year for 15 workers @twice/year @ 500 x 2 x 15	-	15000.00
7	Solid Waste Management		
	Bins 1 Nos Rs @ 800 each	800.00	3300.0
	Pit and Composed	2000.00	
	Transport of Dry Waste	500.00	
8	Vehicle Maintenance + PUC Certification @ 700/- per Vehicle (700 x 5)	-	3500.00
9	Signage & Caution Board	1000.00	500.00
10	other training program	-	2000.00
11	The budget for dewatering and silt management	15000.00	2000.00
12	Re-grassing in the mined-out areas	-	5000.00
13	Distribution of LED light for Carbon sequestration	25000.00	-
	Total	369300.00	61800.00

1- CER Table

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख)
1	प्राथमिक स्कूल मझगवां में अधोसंरचना विकास हेतु राशी का प्रदान शिक्षक पालक संघ के खाते में राशी जमा की जायेगी।	प्राथमिक स्कूल ग्राम मझगवां	80000/-
3	अन्य कार्य	ग्रामीण के मांग के अनुसार	20000/-
	कुल		100,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	संख्या
1.	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, बांस, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, चिरोल, सीताफल आदि।	1000
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, चिरोल, सिस्सू, केथ, कदम, सीताफल आदि।	500
3.	ग्राम मझगवां के नजदीक स्थित स्कूल एवं आगनवाड़ी में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, कदम, गुलमोहर, आम, मुनगा, कटहल, आदि।	500
5.	ग्राम मझगवां समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, जामुन, अमरूद, आवला, निबू, कटहल, आदि।	1000
	योग		5000

यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उनके अप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे।

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।

8. Case No. P2/978/24 Shri Rajeev Sharma, D-2/001, Windsor Hills, New City Centre, Sirol, Gwalior, Sirol, Murar, Gwalior, Gird, (M.P.) - 474006. Prior

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

Environment Clearance for Urhana Stone Quarry Khasra No.– 1244] an Area of 2.50 Ha. in Village- Urhana , Tehsil– Morena, District- Morena (M.P.). with Production Stone – 33,915 M3/Year. ToR.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

9. Case No. 9575 /2022 Shri Jagdish Singh, Prop, M/s Raj Corporation Ltd., Bhadakur Marg, Ward No. 14, Thana Phoop, District - Bhind (MP) – 477555. Prior Environment Clearance for Jiganiya Stone Quarry in an area of 2.612 ha. (39,455 cum per annum) (Khasra No. 309/1/2, 309/3/3 & 309/1/2), Village - Jiganiya, Tehsil – Tansen (Gwalior), District - Gwalior (M.P.). EIA. SIA/MP/MIN/464648/2024.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक मैसर्स राज कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रो. श्री जगदीश सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Raj Corporation, Proprietor- Shri Jagdish Sing R/o- Bhadakur Marg, Ward No.14, Thana Phoop District- Gwalior (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	309/1/2, 309/3/3 & 309/1/2 (निजी- भूमि)	2.612 hectare.
स्थल	Village – Jiganiya, Tehsil –Gwalior (Tansen), District -Gwalior (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7469 दिनांक 26/05/2022 के द्वारा स्वीकृत।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं	वर्ष– 24/08/2022, क्षमता– पत्थर 39,455 घनमीटर/वर्ष,	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

मात्रा।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ/ना	डीएसआर हॉ/ना	हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। नया प्रोजेक्ट, बी-1।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम– जिगनिया दिनांक– 25/09/2023		
टॉर	सेक की 623 वीं बैठक दिनांक 22/02/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 3142 दिनांक 21/03/2023 के द्वारा टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।		
उत्पादन क्षमता	क्षमता– पत्थर 39,455 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12047-12048 दिनांक 22/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 23.122 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12047-12048 दिनांक 22/11/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12047-12048 दिनांक 22/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा/संस्थान एवं जलीय निकाय नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिगनिया जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्र. 2 दिनांक 13/04/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा — कच्चा रोड लगभग 67 मीटर एवं पक्का रोड लगभग 318 मीटर और नहर लगभग 438 मीटर की दूरी पर स्थित हैं
	पूर्व दिशा — बरसाती नदी लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं शूरी सिद्ध बाबा मंदिर लगभग 350 मीटर की दूरी पर है।
	पश्चिम दिशा — कच्चा रोड लगभग 190 मीटर पर स्थित है। एवं उत्तर – पश्चिम दिशा में मानव रहवासी लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	खदान के चारों तरफ कृषि क्षेत्र से 25 मीटर का सैटबैक दिया गया है। सैटबैक छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 0.9539 हेक्टेयर है एवं नोन माईनिंग क्षेत्र 1.6581 हेक्टेयर है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	27 / 05 / 2024
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 26/09/2023 को संपन्न 15 आपत्तियों / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान –39,455 घनमीटर /वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्वेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.29 लाख प्रति वर्ष।

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,89,000
1(b)	Water requirement- 4.2 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (750m in length × 6m in width)	1,50,000	50,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(950X200= ₹ 1,90,000)	6,10,000
	b) Plantation in No Mining Zone@ Rs. 200/plant.	(900X200= ₹ 1,80,000)	
	c) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(1000X100 = ₹ 1,00,000)	
	d) Plantation Along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(350X 400 = ₹ 1,40,000)	
4	Garland Drain For pit 1- (1.5 m Wide & 2 m Deep & 830 m Long) For pit 2- (1.5 m Wide & 2 m Deep & 420 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 2 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	2,00,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (17Trucks × 500 ×	--	17,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	2 times in a year)		
6	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000
11	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20 × 1500)	30,000	3,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
15	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
16	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1152 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,15,200	
18	Wire fence (1243 m) @200 rupees/meter.	2,48,600	5,000
	TOTAL *	17,48,800/-	4,29,000/-

CER Table

सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 1,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

--	--

2. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **3200** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	950
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	350
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
4	खनन रहित क्षेत्र में वृक्षा रोपण	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	900
योग			3200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृती जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

Specific Remarks:

- PP submit Gram Sabha TharavPrastav issued by Gram Panchayat Shahadpur Proposal No. 01 dated 22/03/2021(**Apply for Soil Query wrongly enclosed**).
- PP uploaded Project related Gram Sabha TharavPrastav copy (JiganiyaStone Quarry in an area of 2.612 ha. at Khasra No. 309/1/2, 309/3/3 & 309/1/2), Village - Jiganiya, Tehsil - Gwalior, District - Gwalior (M.P.)

10. Case No. P2/975/24 Smt. Savitri Adivashi, Village-Bagbala Gaon, Dabka , District- Gwalior (M.P.) - 475330, Prior Environment Clearance for GUNJHAR CRUSHER STONE & M-SAND QUARRY at Khasra No.- 361, 370, 371, an Area - 4.00 ha., at Village - GUNJHAR, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 2,50,000 (Stone-10,000 M3/ Year & M-Sand-2,40,000 M3/ Year). B2 Case

प्रस्तावित पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सावित्री आदिवासी पत्नि श्री हरजीत सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंडाया रमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाइन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Savitri Adivashi, W/o Shri Harjeet Singh R/o -Bagwala Gaon Dabka, District- Gwalior (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	361, 370, 371 (शासकीय – भूमि)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Gunjhar, Tehsil- Dabra, District- Gwalior (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 3369-70 दिनांक 14/03/2024 द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं	वर्ष- 02/04/2024,	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	कुल क्षमता – 2,50,000 घनमीटर/वर्ष, पत्थर – 10,000 घनमीटर/वर्ष एम-सेण्ड – 2,40,000 घनमीटर/वर्ष		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। बी- 2।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम-गुंझार, दिनांक-11/05/2024		
कुल उत्पादन क्षमता	कुल क्षमता – 2,50,000 घनमीटर/वर्ष, पत्थर – 10,000 घनमीटर/वर्ष एम-सेण्ड – 2,40,000 घनमीटर/वर्ष		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 697 दिनांक 16/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 697 दिनांक 16/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 697 दिनांक 16/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता / कच्चा रास्ता / नाला नहीं है।		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुंझार जिला ग्वालियर ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में केशर है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में कुछ वृक्ष स्थित हैं जिन्हें नोन माईनिंग जोन के रूप में रखा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा – मानव रहवासी लगभग 58 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 42 मीटर का सेटबैक दिया गया है। एवं कच्चा रोड लगभग 140 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा— दक्षिण पूर्व में मानव रहवासी लगभग 34 मीटर की दूरी पर स्थित हैं जिससे 66 मीटर का सेटबैक दिया गया है। एवं दक्षिण में लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं कच्चा रोड लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	सेटबैक छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 2.4784 हेक्टेयर है एवं नोन माईनिंग क्षेत्र 1.5216 हेक्टेयर है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	27/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान-2,50,000 घनमीटर / वर्ष, (पत्थर- 10,000, एम- सेण्ड-2,40,000)
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 24.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.38 लाख प्रति वर्ष

4. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	1,96,200	-
1(b)	Water requirement- 4.36 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (320 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 Rs=2,40,000/-	15,000
	c) Plantation within No Mining Zone : @ Rs. 200/plant.	1000 plants × 200 Rs=2,00,000/-	
	d) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	2000 plants × 50 Rs=1,00,000/-	
	e) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	600 plants × 300 Rs=1,80,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 1014 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	1,80,185	5,000
5	Wire fence (1009 m) @200 rupees/meter.	2,01,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 100 Labors -100× 500 × 2)	-	1,00,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 100 workers - 100× 1500)	1,50,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	1. Slurry Management Equipment: A) Slurry Pump Rs. 1,20,000 B) 2 Washing Tank (i.e 50,000 x 2) Rs. 1,00,000 C) Slurry Tank Rs. 50,000 D) 2 Water Pump (i.e 20,000 x 2) Rs. 40,000	3,10,000	20,000
18	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1,912 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,91,200	-
19	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15,000
	TOTAL	24,41,385 /-	2,38,000/-

5. CER Table

सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 4.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर. मद से 200,000 की राशी से शासकीय प्राथमिक शाला गुझार में 400 मीटर कि 4 फिट ऊची बाउड्रिवाल का निर्माण एवं मेन गेट लगवाने हेतु जिसकी राशी पालक शिक्षक सघं में जमा कि जाएगी। एवं 2,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	4,00,000/-

6. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	नो माईनिंग जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
5	शासकिय प्रथमिक शाला गुझार में वृक्षारोपण किया जाएगा।	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
6	आवेदित क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र में एवं नो माईनिंग जोन एवं आस पास के शासकीय क्षेत्र में बीजो का बीजारोपण किया जाएगा।	नीम, बबूल, कस्तार, और कालासिरस	
योग			4800
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोर्डार्ड सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No. P2/993/24 POOJA SURYAWANSHI, Owner, Ward No 13 Yadav Colony Harrai Tehsil Harrai, CHHINDWARA (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (14,666 cum per annum) (Khasra No. 59/1,60/1 & 77/3) Village- Amari, Tehsil Harrai, District Chhindwara, (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/473525/2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये खनिज पत्थर से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 07/06/8024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पूजा सूर्यवंशी ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संतोष खंताल (ईआईए समन्वयक)

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

ऑनलाईन मेसर्स क्रिएटिव इनवायरो सर्विसेस उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती पूजा सूर्यवंशी पत्नी श्री दुर्गेश सूर्यवंशी वार्ड नंबर – 13, यादव कॉलोनी, हरई, तहसील– हरई, जिला.– छिंदवाड़ा (म.प्र.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.– 59/1, 60/1, 77/3	क्षेत्रफल– 2.00 हेक्टेयर	निज भूमि (भू-स्वामी से सहमति प्राप्त)
स्थल	ग्राम– अमारी, तहसील– हरई, जिला– छिंदवाड़ा, (म.प्र.)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक .61 दिनांक 09/01/2024 के द्वारा स्वीकृत ।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	खनन योजना का अनुमोदन डीजीएम जबलपुर द्वारा 19/02/2024 को किया गया जिसमें खनिज पत्थर की अधिकतम उत्पादन क्षमता 14666 घनमीटर प्रति वर्ष है ।		
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं ।		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर कोर्डिनेट्स नहीं है	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण । बी-2		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम– प्रोजेक्ट साइट ग्राम– अमारी दिनांक– 21/03/2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रकरण ।		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण	लागू नहीं ।		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

दें।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 14,666 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 14,666 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 342 दिनांक 01/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 342 दिनांक 01/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 342 दिनांक 01/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमारी जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 015 दिनांक 22/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर लीज क्षेत्र के बाहर स्थित किया जाएगा
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 0

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 40 मीटर की दूरी पर भू स्वामी का स्टोर रूम स्थित है।
	दक्षिण दिशा— दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व दिशा में 225 मीटर की दूरी पर 02 मकान स्थित है
	पूर्व दिशा— 290 मीटर की दूरी पर 02 मकान स्थित है
	पश्चिम दिशा— लीज क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	—
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण-पत्र क्रमांक 362 दिनांक 05/03/24 अनुसार उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 14666 घनमीटर प्रति वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
A. FOR ENVIRONMENT PROTECTION			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	Cost of water of 5 KLD @500 (@ 100 rs/kl) x 300 days	-	1,50,000
2	Settling Tank Ss type(10mx2.0mx2m) and Garland drain (550m x 1m x 2 m)	35,000	10,000
3	Pucca Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500 M length x 5.0 M width) @ Rs. 200/Sqm	5,00,000	25,000
4	Plantation 2400 plants will be planted	2,25,000	10,000
	A. Within lease area (In Barrier Zone)- 600 Plants @ Rs 100/Plant		
	B. Outside the Lease Area (including the Cost of tree guard & manure for the plant) On Evacuation Route (Both side) – 400 Plants @ Rs 200/plant In Primary School Aaganvadi, Panchayat Parisar 200 Plants @ Rs 100/Plant (as fencing & boundary wall is present these place) Distribution in nearby villages - 1200 Plants (@ Rs 50/Plant		
	C. Sowing of the Subabool, Neem, Prosopis, Ketki etc. seeds along the excavated garland drain @5000 /-		
5	Monitoring twice a year AAQM -@ Rs 12000/-, WATER -@ Rs 8000/-, NOISE -@ Rs 8000/-	-	28,000
6	Wire fence (550 m approx.@ Rs 500 Per Mtrs.)	2,75,000	2,500
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/15 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenances.	10,000	2,000
8	Toilet 2nos.@ Rs 15000/- x2 no (ladies & Gents) with soak pits and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up of 15 workers @500/worker (twice in a year)	-	15,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000 X 1 & Rs. 2000/year for maintenance.	25,000	2,000
11	Provision of PPES (Helmet shoes gloves goggles etc) @ Rs 1500/-x 18 no's (15+3 Additional =18)	27,000	3,000
12	Shelter rooms for labour's (20*20) = 400 Square feet	20,000	2,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 2 Dumpers @1000/Dumper	-	2,000
15	Miscellaneous Expenses such as for solar lights 2 Nos, (@ Rs. 8000/light), Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	18,000	1,000
16	VT Trainings for 15 labors (minimum @ Rs. 500 /labor)	-	7,500
	Total	11,75,000	2,65,000

CER Table

FOR SOCIAL WELFARE (As per MoEF&CC OM dated 25/02/21)	
मुख्या चिकित्सा अधिकारी के विवेक से शासकीय चिकित्सालय हरई में राशि व्यय की जावेगी।	1,00,000
Total	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (1 मीटर उचाई के पौधेद्ध)	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, अचार. करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत अमारी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
4	ग्राम पंचायत अमारी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, पुत्रंजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

12. Case No. 9864/2023, Shri Manoj Agarwal S/o Shri Siyaram Agarwal R/o Kali Mata Mandir Ke Pass Naingarh Road, District- Morena (MP)-476001. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.176 ha. (31,920 Cum Per Year) (Khasra No. - 2941) Village-Dhanela, Tehsil-Morena, District - Morena (MP) EIA.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज अग्रवाल पुत्र श्री सियाराम अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंडिया रमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित से ऑनलाईन हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Manoj Agrawal S/o - Shri Siyaram Agrawal R/o - Kalimata Mandir Ke Pass, Naingarh Road, District - Morena, Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2941 (शासकीय – नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.176hectare.
स्थल	Village- Dhanela, Tehsil & District- Morena, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 600 दिनांक 09/05/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का	वर्ष— 07/09/2022,	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	क्षमता पत्थर खदान –31,920 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	बी- 1।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम- धनेला, दिनांक- 28/03/2024		
टॉर	सेक की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 830 दिनांक 10/07/2023 के द्वारा टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 31,920 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 31,920 घनमीटर /वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 21/10/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.318 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 21/10/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य, ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है 250 मीटर की दूरी पर कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 21/10/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब, नदी बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता /पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धनेला जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/04/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	हाँ।
क्रेजर की स्थिति	लीज क्षेत्र में क्रेजर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— पक्का रोड लगभग 118 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 82 मीटर का सेटबैक दिया गया है। एवं मानव बसाहट लगभग 204 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा – दक्षिण पूर्व में पक्का रोड लगभग 119 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। जिससे 81 मीटर का सेटबैक दिया गया है।
	सैटबैक छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 1.8248 हेक्टेयर है एवं नोन माईनिंग क्षेत्र 1.3512 हेक्टेयर है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	28/05/2024
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27/03/2024 को संपन्न 14 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया खुदा होने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला मुरैना का पत्र क्रमांक 354 दिनांक 31/03/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि उक्त स्वीकृत खदान क्षेत्र में पूर्व में शासकीय निर्माण कार्यों के लिये अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किये गये थे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान –31,920 घनमीटर /वर्ष ।
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 16.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.16 लाख प्रति वर्ष ।

3. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	2,70,000
1(b)	Water requirement- 6.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (830 m in length × 6m in width)	1,50,000	50,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(600X200= ₹ 1,20,000)	5,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(1800X100 = ₹ 1,80,000)	
	c) Plantation along the Approach Road @ Rs.300/plant (including tree guard)	(400 X 300 = ₹ 1,20,000)	
	d) Plantation in no mining zone	(1000X200 = ₹ 2,00,000)	
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 830 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 1 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	1,00,000	5,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (13 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	13,000
6	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	20,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20workers - 20× 1500)	30,000	3,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
15	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
16	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15,000
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1024 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,02,400	
18	Wire fence (811 m) @200 rupees/meter.	1,62,200	5,000
19	For Water Harvesting	1,00,000	10,000
	TOTAL	16,69,600/-	5,16,000/-

4. CER Table

सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,50,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,50,000/-

5. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **3810** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
4	खनन रहित क्षेत्र में वृक्षा रोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
योग			3800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृती जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024**

13. Case No. P2/997/24 Gopi Urmaliya, Partner, M/s BALAJI MINERALS, Ward No 15, Khitola Bajar, Sihora, Dist- Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.47 ha. (10,917 cum per annum & M-Snd-4678 cum per annum) (Khasra No. 405 Parts) Village –KHUDARGAWAN Tehsil –Kundam District-Jabalpur (M.P.) SIA/MP/MIN/475701/2024 DEIAA- New.(B2)

प्रकरण आज सेक की 765वीं बैठक दिनांक 07/06/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

14. Case No. P2/1006/24 Shri KAILASH GUPTA, B.N. 69 KARIYAPPA MARG, IN FRONT OF BSNL EXCHANGE, CANTT JHANSI (UP) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (Stone – 51617 m³/Year) (Khasra No. 1/1) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). (TOR) SIA/MP/MIN/471855/2024 DEIAA-New

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

15. Case No. P2/1007/24 Shri VISHAL GUPTA, LESSEE, 117/4, CIVIL LINE NEAR ALLAHABAD BANK, IN FRONT OF RED ROSE SCHOOL, JHANSI (UP) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone – 23211 m³/Year) (Khasra No. 3/2) Village –Bhojpura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.) (TOR) SIA/MP/MIN/471892/2024 DEIAA-New

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

16. Case No. 9291/2022 Shri GAGAN GROVER, OWNER, WARD NO.4, KHALWARA BAZAR, KYMORE, KHALWARA, KATNI (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.75 ha. (1,35,184 cum per annum) (Khasra No. 1055, 1055/1539, 1055/1546 & 1073) Village Bichpura, Tehsil Barhi, District Katni (M.P.) SIA/MP/MIN/474490/2024. EIA.

प्रस्तावित खदान बी-1 नवीन श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गगन ग्रोवर ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गगन ग्रोवर आत्मज श्री आर.सी. ग्रोवर निवासी खलवारा बाजार, बस स्टैंड कैमरे, तहसील – कटनी (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नंबर – 1055,1055/1539,1055/1546 व 1073 (निजी भूमि – नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.750 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम – बिचपुरा, तहसील – बरही, जिला – कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1439-40 दिनांक 10/09/2020 के द्वारा स्वीकृत है।	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नवीन – लागू नहीं	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / बी-1	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नवीन – लागू नहीं	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की 594वीं बैठक दिनांक 21.09.2022 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1906/SEIAA/22 दिनांक 26.10.2022 के द्वारा 1,35,184__घनमीटर/वर्ष पत्थर के लिए टॉर जारी किया गया है,	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता 1,35,184 घनमीटर/वर्ष पत्थर हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 1,35,184 घनमीटर/वर्ष पत्थर है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक खनिज/ख.प./2022/1623 दिनांक 7/07/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 14.12 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक खनिज/ख.प./2022/1623 दिनांक 7/07/2022 अनुसार वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1649 दिनांक 01-06-2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र पनपथा अभ्यारण्य (कोर) से लगभग 9.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं जिसके सन्दर्भ में वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल कटनी से प्राप्त अनापत्ति पत्र क्रमांक 3159 दिनांक 24-04-2024 अनुसार उक्त ईकोसेंसेटिव जोन की भारत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर 2016 में दिये गये विवरण अनुसार परिभाषा निम्नानुसार है 1. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पनपथा वन्यजीव अभ्यारण जो कि बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती का कोर क्षेत्र गठित करता है, की सीमा से 2 कि.मी. तक विस्तारित परिस्थितिक संवेदी जोन 1030.382 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। अतः उक्त विवरण अनुसार आवेदित स्थल की दूरी बांधवगढ़ ईको संवेदी जोन से गणना की गई जो कि मौके पर लगभग 1537 मीटर है तथा ईकोसेंसेटिव जोन (बफर जोन) एवं आवेदित स्थल की के०एम०एल० अनुसार गूगल मानचित्र पर दूरी लगभग 1482 मीटर है। नेशनल पार्क एवं जैव विविधता 10 की.मी. की परिधि पर नहीं हैं एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक खनिज/ख.प./2022/1623 दिनांक 7/07/2022 अनुसार तहसीलदार तहसील बरही के प्रतिवेदन दिनांक 08-03-2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 100 मी. की दूरी पर 4-5 मकान खसरा नंबर 1074/1 पर बिट्टीबाई पत्नी धन्नुलाल गुप्ता की भूस्वामी स्वत्व की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित हैं , शेष जानकारी 500 मी. की परिधि पर नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिचपुरा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 05.10.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण- 1 काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-10
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>पश्चिम दिशा - परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह अवगत करवाया गया की पश्चिम दिशा में खसरा क्र. 1059 जोकि शासकीय भूमि हैं व खसरा क्र. 1066 जोकि व्यवसाय हेतु आवंटित हैं, इन दोनों खसरा क्र. में स्थित मकानों में आसपास की खदानों में कार्यरत लेबर निवासृत हैं , बहरहाल यह निकटतम आबादी क्षेत्र खदान क्षेत्र से पश्चिम दिशा में 130 मी. की दूरी पर स्थित है जिससे एन.जी.टी. निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा (ब्लास्टिंग के लिए दूरी मानदंड 200मी.) जिसके तहत 130 मी. पर आ रहे रहे घर/संरचना को निकटतम संवेदनशीलता ध्यान में रखते हुए 70 मी. का सेट बैक प्रस्तावित किया गया है, उक्त संरचना से 200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।</p> <p>दक्षिण दिशा- दक्षिण दिशा में 35 मी. पर आ रहे कुछ कच्चे घर/झोपड़ियाँ सर्वे नंबर 1073 पर स्थित हैं जो की प्रस्तावक की निजी भूमि पर हैं जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने अवगत करवाया की विशेष रूप से यह है कि ये घर प्रारंभ में कृषि संबंधी वस्तुओं</p>

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	<p>के भंडारण के उद्देश्य से निर्मित किए गए थे एवं इनमें कोई निवास नहीं करता व पर्यावरण स्वीकृति के पश्चात् खनन के उद्देश्यों के लिए पुनःउपयोगित किये जाएँगे जो मशीनरी के भंडारण और साइट कार्यालय के रूप में उपयोग किये जाएँगे।</p> <p>दक्षिण पश्चिम दिशा – दक्षिण पश्चिम दिशा में 70 मी. पर आ रहे कुछ कच्चे घर/झोपड़ियाँ सर्वे नंबर 1071 व 1072 पर स्थित हैं जिसके संबंध में प्रस्तावक ने अवगत करवाया की यह घर उनके ज्येष्ठ भाई की निजी भूमि पर हैं, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने उनके भाई से सपथ पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया की – चूँकि ये विशेष रूप से कृषि सम्बंधित सामान मशीनरी एवं चारा भूसा आदि रखने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं एवं इनमें कोई निवास नहीं करता, परिणाम स्वरूप इन्हें गगन ग्रोवर के द्वारा उनके स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य करने से कोई आपत्ति नहीं और इनके खसरे में आरहे जो निवास हेतु योग्य घर हैं उनको गगन जी की खदान में कार्यरत श्रमिकों के लिए आश्रय स्थल के रूप में उपयोग हेतु प्रदान किये जावेंगे।</p> <p>दक्षिण पूर्व – दक्षिण पूर्व दिशा में 70 मी. पर आ रहे 4,5 कच्चे घर सर्वे नंबर 1074/1 पर स्थित हैं जो की निजी भूमि हैं जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा मोका मुआएना किया गया तथा यह स्पष्टीकरण दिया की उक्त माकन किसी और की निजी भूमि पर कब्जा कर बनाये गए हैं, जिसका वर्णन एकल प्रमाण पत्र में भी किया हुआ है। व प्रस्तावक ने अवगत करवाया की विशेष रूप से यह है कि ये घर प्रारंभ में कृषि संबंधी वस्तुओं के भंडारण के उद्देश्य से निर्मित किए गए थे एवं इनमें कोई निवास नहीं करता</p> <p>उत्तर दिशा – आस पास के उत्खनि पट्टों के साईट ऑफिस स्थित है</p>
जन सुनवाई	<p>प्रस्तावित खदान की दिनांक 10/02/2023 को संपन्न हुई रोजगार दिया जाये गाँव में विकास हेतु कार्य किये जाये पानी का छिड़काव किया जाये</p>

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	वृक्षारोपण का प्रबंध किया जाये उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 60 के सरल क्रमांक-183 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 1,35,184 घनमीटर/वर्ष पत्थर
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.62 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	<u>For environment Protection</u>		
1	Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 937m Long) 1. Settling Tank is of 4m wide, 10m long & 2.5m deep. Settling Tank is of 4m wide, 10m long & 2.5m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	1,30,000	10,000
3	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 160 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs 800/ meter	96,000	10000
	B Widening and maintenance of the existing kaccha road (Road length approx. 1500m, Width 5.5m- (edge to edge excluding shoulders) including the provision of rumble strips (@Rs1,000 each) and construction of a curve (minimum 10m dia @ Rs 10,000) at T junction where approach road meets the main road	1,00,000	15,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@500/yr, Soil @4500/yr	NIL	20,000
5	. For Environment Protection		
	A. Within Lease Area in Barrier Zone & non mining @ 200rs./tree (2500nos) covering the whole periphery of mine lease area	5,00,000	10000
	- 1st year- 100nos on evacuation route up to 280m both side (@ Rs 300/tree)	30,000	
	- 2nd year-250nos at available places like Village School, etc. @Rs 200/plant -2nd year - 1660nos will be distributed to the nearby villagers @Rs 50/plant	50,000 83000	10,000
	A. Cost of fertile soil to be brought from outside @ Rs 250 per cubic meter. Each tree to take approx. 0.124 cubic meter, therefore approx 186 cubic meters to be utilized in the plantation 1200 trees	37000	
6	Wire fence (967m long) (@Rs 200/m)	1,93,400	10,000
7	PUC certification of vehicles (10 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	5000
8	Sowing of the Local seeds species, Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank	10000	-
9	Drinking Water Facility and rest shelter (30x 15 ft.) with solar light	1,00,000	8,000
10	2 number toilet (Rs 12,500/- per toilet)	25,000	2,000
11	Occupational health checkup for workers and villagers	Nil	40,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 2 workers only - (40x Rs 2000+Rs 4,000 for safety harness @Rs 2000 per set)	84,000	2,000
13	Vocational training on mining methods and safe work practices	-	20,000
Emergency Rescue Plan			
14	Fire Fighting Equipments (2 Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	42,000	5,000
15	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 1000 nos @ Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon	1,00,000	-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

Extra Other Budget			
16	Contribution in cluster management plan	-	40000
17	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, 4. Display Board at mine entrance. Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	1,00,000	20,000
18	Solid Waste Management		
	a) Bins 2Nos @ Rs 1500 each	3,000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	2,000	
	Total	16,85,400	2,62,000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम बिचपुरा में ग्राम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 06 माह के भीतर बैंक के खाते में जमा की जावेगी।	1,00,000/-
ग्राम बिचपुरा ग्राम में स्थित शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में विद्यालय विकास हेतु राशि भू प्रवेश प्राप्त मिलने के 06 माह के भीतर जमा की जावेगी।	2,00,000/-
कुल	3,00,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4510 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- सीताफल, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1000
2	गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- सीताफल, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1500
3	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
4	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरही में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	200
5	बिचपुरा गाँव में स्थित प्राथमिक शाला में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50
6	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1660

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No. 9975/2023 Shri SAROJ THAKUR, PROJECT PROPONENT, Village Bamhora, Tehsil Sagar, District Sagar, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (17,100 cum per annum) (Khasra

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

No. 590/1) Village Guraiya, Tehsil Sagar, District Sagar (M.P.) EIA
SIA/MP/MIN/472731/2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सरोज सिंह पति श्री भूपेन्द्र सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार आशीष त्रिपाठी/मेसर्स ए.जी.एस. इनवारमेन्टल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती सरोज सिंह पति श्री भूपेन्द्र सिंह पता – ग्राम बामोरा, तहसील – सागर, जिला – सागर मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 590/1 (शासकीय भूमी)	क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम – गुरैया, तहसील – सागर, जिला – सागर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 423 दिनांक 13/03/2023 के द्वारा स्वीकृत प्राप्त।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गुरैया मेटल स्टोन खदान के लिए टॉर दिनांक 10/08/2023 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – 17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन – 17,100 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 746 दिनांक 15/05/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 5.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 9.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 746 दिनांक 15/05/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	है। एवं उत्खनन पट्टा वन सीमा से 950 मीटर दूरी पर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 746 दिनांक 15/05/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं। एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुरैया जिला सागर के अनापत्ती प्रस्ताव क्रमांक 29 दिनांक 30/04/2016 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 132 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक जल रोकने की संरचना है। खदान के अंदर उत्तर दिशा में एक नाला निकल कर दक्षिण दिशा में जाकर बड़े जल निकाय क्षेत्र में जाकर मिल रहा है। उत्तर दिशा- एक पक्का रोड़ 272 मीटर पर
	दक्षिण-पूर्व दिशा- जल रोकने की संरचना 178 मीटर पर
	पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला 113 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 617 दिनांक 02/05/2023 के उपरोक्त खदान को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 20/03/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रस्ताव करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 17,100 घन मीटर/वर्ष है।
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13,94,900 एवं रिकरिंग राशि रु. 7,37,000 प्रति वर्ष।

Sr. No.	Particulars	Capital Cost (in Rupees)	Recurring Cost in Rupees
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.		4,05,000
1(b)	Water requirement- 9.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (830m in length × 6m in width)	1,00,000	50,000
PLANTATION SCHEME			
3	a) Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(630X200= ₹ 1,26,000)	5,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(3650X100 = ₹ 3,65,000)	
	c) Plantation along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(520X 400 = ₹ 2,08,000)	
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 830 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 1 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep).	1,00,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (20 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	20,000
6	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)		
	Pollution Monitoring		
	i) Air pollution		30,000
	ii) Water pollution		30,000
	iii) Soil Pollution		20,000
iv) Noise Pollution		20,000	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30 labour @ Rs. 10,000/cooler).	30,000	6,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2)	-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15× 1500)	22,500	3,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
15	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
16	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	-
17	To reduce carbon footprint sequestration	1,00,000	1,00,000
	17(a)- Village Farmers For Trees Adaptation		
	17(b)- Distribution of LED Bulb	2400	
18	Pollution Control Equipment Due to Crusher	1,00,000	10,000
Total		13,94,900/-	7,37,000/-

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 60,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	
---------------------------------------	--

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

साल	गतिविधि	राशि (रु.में)
1	सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गुरैया के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	60,000
योग		60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। गड्डे का आकार 70X70X70 से.मी.	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री-गार्ड के साथ।	100
3	भनगुंआ ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2700
कुल			4800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

18. Case No. P2/ 981/24 Shri Sitaram Agarwal, Partner, M/s J S MINING AND MINERALS, R/o- D.A.V. Road Waidhan, Post - Waidhan, District - Singrauli,(M.P.) - 486886, Prior Environment Clearance for Ramdiha Stone Quarry, Lease Area - 2.89 Ha., with a Production Capacity of 44,616 Cubic meter per year, at Khasra No. - 1356, 1357,1358,1359,1360 & 1362 (Pvt. Land), Village - Ramdiha, Tehsil - Chitrangi, and District - Singrauli (M.P.). B2 Cat. Form 2.

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक मे. जे.एस. माइनिंग एण्ड मिनरल्स पार्टनर श्री सीताराम अग्रवाल, ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Sitaram Agarwal, Partner, M/s J S MINING AND MINERALS, R/o- D.A.V. Road Waidhan, Post - Waidhan, District - Singrauli,(M.P.) - 486886, Prior Environment Clearance for Ramdiha Stone Quarry, Lease Area - 2.89 Ha., with a Production Capacity of 44,616 Cubic meter per year, at Khasra No. - 1356, 1357,1358,1359,1360 & 1362 (Pvt. Land), Village - Ramdiha, Tehsil - Chitrangi, and District - Singrauli (M.P.). B2 Cat. Form 2. SIA/MP/MIN/464825/2024.	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. -1356,1357,1358,1359,1360 & 1362 (Pvt. Land),	एरिया- 2.89 ha., निजी भूमि (अनुबंधित)
Project Proposal For	New.	
परियोजना स्थल	Village- Ramdiha, Tehsil- Chitrangi, and District- Singrauli (M.P.).	
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –सिंगरौली के पत्र क्र०. 2712 दि०. 30/06/2018.	
Description of Project	It is a Stone quarry with a Production capacity of 44,616 cubic meters per year of Stone, having a lease area of 2.89 Ha. EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra no. 1356, 1357,1358,1359,1360 & 1362 (Pvt. Land), Village- Ramdiha, Tehsil- Chitrangi, and District- Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022, dated 07/12/2022.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	Controlled Blasting techniques, Muffle Blasting, .	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण	EC issued by DEIAA Singrauli vide letter no. 120 dated	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

(यदि लागू हो)	27/09/2018. (Stone – 48,184 Cubic meter/year).
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 44,616 घन मी./वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 29/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.89 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 29/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 114 दिनांक 29/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत- रमादिया, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र. 424 दिनांक 14/04/2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
	पश्चिम दिशा-
जल/वायु सम्मति स्थिति	Date of consent issued - 04/05/2023, Validity of consent (Valid up to) 30-09-2027.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-46 के सरल क्रमांक-104 पर दर्ज है।

यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उनके अप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।

19. Case No. P2/1008/24 Shri ANJU SINGH, lease owner, R/o- Etori House, Near Raj Laxmi Hotel Panna, Madhya Pradesh – 488001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.85 ha. (Stone – 3600 m³/Year) (Khasra No. 995/6) Village- Tai, Tehsil-Pawai & District-Panna, (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/476690/2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनःमूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति अंजू सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री मति अंजू सिंह निवासी-इटौरी, तहसील-अमानगंज जिला- पन्ना(म.प्र.) -488001
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	995/6(शासकीय-नॉनफॉरेस्टलैंड,) area-1.85ha
स्थल	Village-Tai, Tehsil-Pawai & District-Panna, State-Madhya Pradesh
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना(म.प्र.) के पत्र पृ0कमांक 685/11/एम/3/6/2021, पन्ना दिनांक 09/04/2021 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्रमांक 73/डिया/2016, पन्ना दिनांक 26/06/2016, पत्थर-3,600 घनमीटर/वर्ष
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-3,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-3,600 घनमीटर/वर्ष
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना(म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61/11/एम/3/6/2024, पन्ना दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई भी अन्य खदान संचालित/स्वीकृति नहीं है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61/11/एम/3/6/2024, पन्ना दिनांक 16/01/2024 के अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

	जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61/11/एम/3/6/2024, पन्ना दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ग्रामपंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत टाई जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना (म.प्र.) के क्रमांक 08 दिनांक 18/02/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ बैरियर जोन में है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पक्का रोड खदान से 214 मी. दक्षिण दिशा में तथा 326 मी. पश्चिम दिशा में स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का वितरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदित नवीन जिला के पेज न 81 के सरल क्रमांक 23 पर दर्ज है।
जनसुनवाई	लांगु नहीं है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनर्मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	फेंसिंग नहीं है। मिट्टी के ढेर से बाउंड्री की मेड बनी है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसकी रेस्टोरेशन की लागत इमपी में शामिल है। बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर 60 पेड़ हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	वर्तमान में गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक नहीं बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	पिट्स में बैंचेस अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	गांवों वालों के लिए पानी टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था कराई जाती है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में 600 पौधे भी बांटे गये हैं। नर्सिंग बिल संलग्न है।
--------------------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरणप्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-पत्थर-**3,600** घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लांट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **8.69** लाख एवं रिकरिंग राशि रु. **3.68** लाख प्रतिवर्ष।

Sr.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1(b)	Cost of water of 2,000 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	90,000
2	Garland Drain is proposed (578mx 1.5mx1.5m) 1. Settling tank is 15m x 4m x 2.5 (02no.)	1,00,000	10,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (100mx5m) @300/sqm	1,50,000	15,000
4	Barbed fencing (608m x Rs.300)	1,82,400	1,824
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation -600plants for One years 600 xRs.200= Rs. 1,20,000/-	1,95,750	19,575
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation - 50plants for one years		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	50 xRs.500= Rs25,000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 1,015 Plants for one (1,015xRs. 50)= Rs.50,750/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 05-06 labour@Rs.10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000
9	Medical Check-up for 05-06workers @500/worker (twice in a year)	NIL	6,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	50,000	2,000
11	PPEs for other mining operations for 05-06workers@ Rs. 1500/worker	9,000	900
12	Shelter rooms for labors (05*10) =50 Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha.@9000	40,000	4,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 2trucks @1000/truck	NIL	4,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	Cusher is not install in mine lease area	
18	Vocational trainings for 05-06workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	NIL	3,000
	Distribution of LED bulb for carbon emission reduction	10,000	-
20	Restoration of barrier zone and any other activity Related to mine	50,000	5000
Total		869,150 /-	368,299 /-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मदमेंप्रस्तावितगतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम टाई गांव के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि प्रथम वर्ष में किया जायेगा।	Rs.40,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1665 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंप	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन	सिस्सूनीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	परिवहनमार्ग	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	टाईतथाआस-पासकेग्रामवासियोंमेंवितरणहेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीताअशोकमुनगाइत्यादि।	995
4	टाईशासकीय विद्यालय में	कचनार, पुत्ररंजीवा, मौलश्रीऔरकुसुम अन्य सजावटीपेड़ इत्यादि।	20

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृतपौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्डड्रेन तथा सेटलिंगटैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणा में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No. 9960/2023 Ms Surbhi Tak, Owner, R/o- 32, Vidhya Vihar, Kasturba Nagar, District-Ratlam (MP)-457001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone Quarry 12000 cum per year) (Khasra No. 3/2) Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) (EIA)

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक Surbhi Tank W/o Shri Chetan Tank एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Surbhi Tank W/o Shree Chetan Tank R/o- 32, Vidhya Vihar, Kasturba Nagar, Tehsil & District: Ratlam State – Madhya Pradesh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 2.00 Ha.			
स्थल	Village: Sanwaliya Rundi, Tehsil & District: Ratlam (M.P)			
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 17939-15/खनिज/2022 भोपाल दिनांक 29.12.2022 के अनुसार स्वीकृत ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नया प्रोजेक्ट है			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट है			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (साँवलिया रुँदी) दिनांक - 15.04.2024			

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रोजेक्ट है
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	930/SEIAA/2023 Dated 24/07/2023
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 100/खनिज/2022-23 रतलाम दिनांक 13.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 10 खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिससे दोनों खदानों का कुल रकबा 26.00 Ha होता है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 100/खनिज/2022-23 रतलाम दिनांक 13.01.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 100/खनिज/2022-23 रतलाम दिनांक 13.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 21.09.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	नया प्रोजेक्ट है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान	उत्तर दिशा- पक्का रोड-124 मीटर दूरी पर दक्षिण दिशा - नदी लगभग 209 मी. पर

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

स्थिति	पूर्व दिशा – पश्चिम दिशा –
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उक्त उत्खनिपट्टा जिला रिपोर्ट में शामिल नहीं है । आगामी जिला रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	जन सुनवाई दिनांक 20.12.2023 को प्रोजेक्ट साइट पर ही थी

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में पक्का रोड-124 मीटर दूरी पर स्थित होने के कारण लगभग 76 मी. का सैटबैक प्रस्तावित है। जिससे 200 मीटर का सेट बैक छोड़ने पर लीज एरिया 1.38 हेक्टेयर बच रहा है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककृए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 12,000 घनमीटर/वर्ष है।
 1. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 2. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 - 3- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
 4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 8.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.37 लाख प्रति वर्ष ।
 5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.7 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये रु—

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST		
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. (Three Times in a Day)	1,00,000	10,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 100 Rs./per day X 280 days	Nil	28,000
1(c)	Mirco – Fogging for control of Air Pollution (RAPL-R180 16L Thermal Fogger Machine)	21,500	2,000
2	Two Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [733m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	1,09,950	20,000
3	Maintenance of approach road (Max. Road length 145 m , Width 6.0m) = 145m @ 300 Rs./m.	43,500	30,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Plantation (2000 plants will be planted & Distribution during the five year)	3,40,000	20,000
6	Wire Fence 733 m x100	73,300	20,000
7	Crusher Pollution Equipment	50,000	-
Carbon Sequestration			
8	For Carbon Foot print tree adaptation	50,000	50,000
Labour Welfare			
9	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 15 feet)	10,000	4,000
10	Separate toilets for Male & Female No. of 2	5,000	3,000
11	Occupational health Survey 18 Labour @ 500 Rs. = 8,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 18	Nil	18,000
12	PPES to Work(Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 18 labor @1000 Rs.	18,000	4,000
13	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
14	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	2,000
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	1500	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
15	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
16	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Total EMP Cost		8,52,900	2,87,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 70000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	ग्राम साँवलिया रूँदी में प्राथमिक शाला में वाटर कूलर की व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत को आर्थिक सहायता	70,000
Total		70,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों की कुल संख्या – 2000				
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या	टिप्पणी
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	165	<ul style="list-style-type: none"> • पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। • परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। • तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ। • गारलैंड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की बंड पर बीज रोपण किया जाइएगा। रख रखाव लीज पीरियड तक किया जाएगा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4-5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का ट्री गार्ड।
गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	235	पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी। ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ।
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।
ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	<ul style="list-style-type: none"> गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

21. Case No. 9948/2023 Shri Mukesh Mishra, Owner, R/o Shakti Nagar, Sanwaliya Rundi, District-Ratlam (MP)-457001. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone Quarry 13034 Cum per annum) (Khasra No. 3/2) Village-Sanwaliya Rundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) EIA SIA/MP/MIN/472480/2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक Mukesh Mishra S/O - Shri Kamal Babu Mishra एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Mukesh Mishra S/O - Shri Kamal Babu Mishra R/o -136/26, Shaktinagar District: Ratlam State – Madhya Pradesh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	सरकारी 2.00 Ha.			
स्थल	Village: Sanwaliya Rundi, Tehsil & District: Ratlam (M.P)			
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 17943-45/खनिज/2022 भोपाल दिनांक 29.12.2022 के अनुसार स्वीकृत ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नया प्रोजेक्ट है			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ		
अनुमोदित खनन योजना	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है			

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट है
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (साँवलिया रूँदी) दिनांक - 15.04.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रोजेक्ट है
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	844/SEIAA/2023 Dated 10/07/2023
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 13,034 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 101/खनिज/2022-23 रतलाम दिनांक 13.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 3 खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिससे दोनों खदानों का कुल रकबा 8.00 Ha होता है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 101/खनिज/2022-23 रतलाम दिनांक 13.01.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 101/खनिज/2022-23 रतलाम दिनांक 13.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 28.09.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	नया प्रोजेक्ट है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— दक्षिण दिशा – 112 मीटर दूर दक्षिण दिशा में नहर पूर्व दिशा – 253 मीटर दूर दक्षिण दिशा में कच्ची रोड पश्चिम दिशा –
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उक्त उत्खनिपट्टा जिला रिपोर्ट में शामिल नहीं है । आगामी जिला रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	जन सुनवाई दिनांक 20.12.2023 को प्रोजेक्ट साइट पर ही थी

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कि दक्षिण दिशा में लगभग 112 मीटर दूर दक्षिण दिशा में नहर स्थित है। अतः इस संबंध में उनके द्वारा 80 मी. का सैटबेक छोड़ा जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 13,034 घनमीटर/वर्ष है।
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.7 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये रु—

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. (Three Times in a Day)	1,00,000	10,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 100 Rs./per day X 280 days	Nil	28,000
1(c)	Mirco – Fogging for control of Air Pollution (RAPL-R180 16L Thermal Fogger Machine)	21,500	2,000
2	Four Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [658m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	98,700	20,000
3	Maintenance of approach road (Max. Road length 110 m , Width 6.0m) = 950 m @ 300 Rs./m.	2,85,000	30,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Plantation (2000 plants will be planted & Distribution during the five year)	3,40,000	20,000
6	Wire Fence 733 m x100	73,300	20,000
7	Crusher Pollution Equipment	50,000	-
Carbon Sequestration			
8	For Carbon Foot print tree adaptation	50,000	50,000
Labour Welfare			
9	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 15 feet)	10,000	4,000
10	Separate toilets for Male & Female No. of 2	5,000	3,000
11	Occupational health Survey 18 Labour @ 500 Rs. = 8,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 18	Nil	18,000
12	PPES to Work(Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 18 labor @1000 Rs.	16,000	4,000
13	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
14	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	2,000
Solid Waste Management			

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

a.	Bins 2 Nos.	1500	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
15	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
16	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Total EMP Cost		10,23,500	2,35,000

CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 70000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	ग्राम साँवलिया रूँदी के प्राथमिक शाला के अधोसंरचना विकास हेतु ग्राम पंचायत को आर्थिक सहायता ।	70,000
Total		70,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों की कुल संख्या - 2000				
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या	टिप्पणी
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	165	<ul style="list-style-type: none"> • पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। • परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबसू, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी। • ट्रेच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। • तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ। • गारलैंड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की बुंड पर बीज रोपण किया जाइएगा। रख रखाव लीज पीरियड तक किया जाएगा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4-5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का ट्री गार्ड।
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	935	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।
ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	<ul style="list-style-type: none"> गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P2/1009/24 Shri Gaurav Khatri, Partner M/s A.K. Enterprises, Matra Chhaya mihani puram, bandhav garh colony, Raghurajnagar, Satna, Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.82 ha. (39,131 cum per annum) (Khasra No. 8) Village – ABER Tehsil – Kotar District Satna (M.P.) B-2

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक मैसर्स ए.के. इन्टरप्राइजेज, पार्टनर श्री आशू खत्री पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार खत्री एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मैसर्स ए.जी.एस इंडास्ट्रियल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s A.K. Enterprises, Partner- Shri Ashu Khatri, S/o- Late Shri Rajendra Kumar Khatri R/o – Near Hotel Chandraview, Rewa Road Satna District-Satna (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	8 (शासकीय- भूमि)	3.820 hectare.	
स्थल	Village- Aber, Tehsil- Kotar, District-Satna, (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2075 दिनांक 22/07/2021 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 29/07/2021, क्षमता- पत्थर 39,131 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार –नीरज प्रजापति, श्री स्थल का नाम- अबेर, दिनांक- 26/05/2024		
उत्पादन क्षमता	क्षमता- पत्थर 39,131 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 892 दिनांक 24/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत जो कि होमोजिनियस श्रेणी में नहीं आती है, इस प्रकार कुल रकबा 3.820 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 892 दिनांक 24/05/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अनापत्ति	क्रमांक 892 दिनांक 24/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अबेर जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्र. 08 दिनांक 23/01/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित लिज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा— कच्चा रोड लगभग 165 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं उत्तर पश्चिम में मावन रहबासी क्षेत्र लगभग 275 मीटर की दूरी पर स्थित है
	पूर्व दिशा— कच्चा रोड लगभग 306 मीटर की दूरी पर स्थित है
	दक्षिण दिशा— इलेक्ट्रिक पोल लगभग 113 मीटर की पर स्थित हैं। जिससे 87 मीटर का सैटबैक दिया गया है
	सैटबैक छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 1.965 हेक्टेयर है एवं नोन माईनिंग क्षेत्र 1.855 हेक्टेयर है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	28/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान 39,131 घनमीटर/वर्ष
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्लेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्लेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 15.31. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.38 लाख प्रति वर्ष

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	90,585	-
1(b)	Water requirement- 2.013 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (513 m in length × 6m in width)	1,00,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	2100 plants × 200 Rs=4,20,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1900 plants × 50 Rs=95,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs300/plant	600 plants × 300 Rs=1,80,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 795 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (790 m) @200 rupees/meter.	1,58,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs.	30,000	3,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	3000/year for Maintenance.		
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20 × 1500)	30,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	17,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (804 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	80400	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
	TOTAL	15,71,170	1,38,000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,40,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,40,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज,	1100

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
2	नो माईनिंग जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1900
योग			4600
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No. P2/1011/24 Shri NILESH CHOUKSEY, Owner, Makan no- 01, Ward No.- 43, Lalbag, Burhanpur, Burhanpur , Burhanpur, Madhya Pradesh – 450331. Prior Environment Clearance for Gitti Quarry in an area of 2.00 ha. (Gitti – 24304 m3/Year) (Khasra No. 659) Vill. Khadkod, Teshil and District – Burhanpur (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/476934/2024

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री निलेश चौकसे, पुत्र श्री उत्तमचंद चौकसे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Nilesh Chouksey, S/o Shri Uttamchand Chouksey Resi – Mata Mandir, Lal Bagh, District- Burhanpur (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	659	(शासकीय – भूमि)	2.00 hectare.
स्थल	Village– Khadkod, Tehsil– Burhanpur, District– Burhanpur, (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 9871–72 दिनांक 19/07/2021 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 08/04/2021, क्षमता– पत्थर 25,480 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	बी-1 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम– खडकोद दिनांक– 05/05/2024		
उत्पादन क्षमता	क्षमता– पत्थर 25,480 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1107 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.040 हे. होता है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1107 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अनापत्ति	क्रमांक 1107 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है। एवं बुरहानपुर पत्र क्रं./वा.ना.तह./2019/34 दिनांक 19/07/2019 के अनुसार आबादी लगभग 01 कि. मी. दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खडकोद जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/07/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेटर की स्थिति	आवेदित लिज क्षेत्र के बाहर क्रेटर स्थित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— लगभग 390 मीटर की दूरी पर कारखाना स्थित है। बरसाती नाल लगभग 95 मीटर की दूरी पर है। पूर्व दिशा— पक्का रोड लगभग 108 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 92 मीटर का सेटबैक दिया गया है। पश्चिम दिशा— उत्तर पश्चिम दिशा में कारखाना लगभग 315 मीटर की दूरी पर स्थित है
	सेटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनेबल एरिया 1.0804 हे. हैं एवं नो माईनिंग एरिया 0.9196 हे. है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/05/2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक क्र/3444/खनिज/DEIAA Noc/2016 दिनांक 31/05/2016 के द्वारा पत्थर – 19,950 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 50% पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	100 बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर 120 पौधों का पोधारोपण कराया गया है। जिसके अक्षास दंशाश सहित छाया चित्र लगे हुए हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 40% पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	पिट खनन योजना के अनुसार पाए गए लेकिन 7.5 मीटर में 10% पूर्व में भूल वश खुआई हुई जिसे पूर्णभरण कर पोधारोपण किया जाएगा एवं इसका विवरण ई एम पी बजट में 1,00,000 रु शामिल किया गया है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 120 पौधों का पोधारोपण कराया गया है। जिसके अक्षास दंशाश सहित छाया चित्र लगे हुए हैं। एवं ..500.... पेड बांटे गये। जिसमें सें बेरियर जोन में पर 100 पेड लगे हुए हैं। एवं क्रेशर प्लांट के पास में 20 पेड लगे हैं
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम में वृक्षा रोपण सडक निर्माण एवं पार्क में वृक्षा रोपण करने से संबंधी प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान 25,480 घनमीटर/वर्ष
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 11.58. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.39 लाख प्रति वर्ष

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	58,275	-
1(b)	Water requirement- 1.295 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (190 m in length × 6m in width)	1,00,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1100 plants × 200 Rs=2,20,000/-	15000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1000 plants × 50 Rs=50,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.250/plant	300 plants × 300 Rs=90,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 5561 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	-	5,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

5	Wire fence (556 m) @200 rupees/meter.	111200	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	5,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers – 20 × 1500)	30,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	17,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (772 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	77200	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
19	For 7.5 boundary pit reclamation	1,00,000	
	TOTAL	11,58,675/-	1,39,000/-

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2400** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	नो माईनिंग जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
योग			2400
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No. 10099/23 Smt. Chanchal Damor R/O Umarnkot, District - Jabua (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 5.00 ha. (Stone Mine - 38000 cum per year) (Khasra No. 10/1/1/ka) Village-Dhabaipara, Tehsil-Ratlam, District- Ratlam (MP) EIA SIA/MP/MIN/477235/2024. EIA

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 7.6.2024 को परियोजना प्रस्तावक चंचल डामोर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	चंचल डामोर, पता- उमरकोट, जिला - झाबुआ, मध्य प्रदेश
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानं.-10/1/1/ka, क्षेत्रफल -5.0 ha (सरकारी भूमि नॉनफॉरेस्ट लैंड)
स्थल	Village- Dhabaipada, Tehsil- Ratlam, District- Ratlam Madhya Pradesh.
लीजस्वीकृति	संचनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश, जिला-भोपाल (म.प्र.)के पत्रक्रमांक-6543/ खनिज/2022, भोपाल दिनांक 10/05/2022के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । नया प्रकरण
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-38,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-38,000 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	TOR Recommended in 665 st SEAC Meeting dated 03/08/2023. TOR Letter no. 1284/SEIAA/2023, dated 12/09/2023
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रतलाम मध्य प्रदेश (म.प्र.)के -पत्र क्रमांक/खनिज/1996/2022.-2023, रतलाम दिनांक-29/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 1 अन्य खदान जिसका रकबा 10 हेक्टेयर है कुल रकबा 15 हेक्टेयर है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रतलाम मध्य प्रदेश (म.प्र.)के -पत्र क्रमांक/खनिज/1996/2022.-2023, रतलाम दिनांक-29/11/2022 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रतलाम मध्य प्रदेश (म.प्र.)के -पत्र क्रमांक/खनिज/1996/2022.-2023, रतलाम दिनांक-29/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्कारास्ता/नाला नहीं है। 50 मीटर दूर नाला है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/10/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	आवंटित पट्टा क्षेत्र में पेड़ नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में नाला 37 मीटर पर, 13 मीटर का सेटबैक दिया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है। उत्तर पश्चिम दिशा में नाला 247 मीटर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में नाला 87 मीटर पर दक्षिण दिशा में पक्का रोड 510 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक- /1996/खनिज/2022-23 दिनांक 29/11/22 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 -जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता नुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरणप्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवंस्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-38,000घनमीटर/वर्ष
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 19.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.31 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1 (b)	Cost of water of 2400 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	1,14,300
2	Garland Drain is proposed (949m x02m x1.5m) 1. Settling tank is 10m x 04m x 1.5m (02 No.)	1,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (300m X 5m) @300/sqm	4,50,000	45,000
4	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. Total plantation in Approach road - 200 200plant/year x Rs.500=1,00,000/-	4,80,250	48,025
	Plantation in Village & school @ Rs. 50/plant. Total plantation in village and School area 5205 (5205 X Rs. 50)= 2,60,250/-		
	Plantation in barrier zone @ Rs. 200/plant. Total plantation in Barrier zone - 600 600 plant/year x Rs.200= 1,20,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	18,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 18 workers+(2 Extra) =20@ Rs. 1500/worker	30,000	3000
11	Shelter rooms for labors (18*10) =180 Square feet @Rs.800/square ft.	1,44,000	14,400
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 17trucks @1000/truck	NIL	8,000
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 600m @ 500/meter	3,00,000	3000
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	75,000	15,000
17	Pollution activities due to the crusher	1,50,000	15,000
18	Vocational Training for 18 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	9,000
19	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	30000	NIL
2.	Required soil (198.4 cum) will be purchased from local market @ 100 Rs/cum =198.4x 100	19,840	NIL
	Total	19,16,090/-	5,31,725/-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि रु
ढाबाईपाडा गांव के प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षक पालक संघ के खाते में अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि प्रथम वर्ष में जमा करवाया जावेगा ।	45,000 /-
ढाबाईपाडा गांव के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में राशि प्रथमवर्ष में जमा किया जायेगा ।	15,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमानुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृतपौधों का बदलाव तथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में शासकीय भूमि	कस्टार, जंगल जलेबी, चिरौल, आवंला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	600
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतमऊँचाई 1.5 मीटरट्री-गार्ड के साथ)	शीशम, अमलतास, जामुन, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	ढाबाईपाडा, राजपुरा, अमलीपाडा, बिलाडी, भवराडी, धामजिया, आदि ग्रामवासियोंमेंवितरणहेतु	इमली, आवंला, आम, बेल, नींबू, महुआ, सिस्सू, जामुन, कटहल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	5185
4	प्राथमिकविद्यालय धामजिया	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, कुसुम, गुलमोहर इत्यादि ।	15

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंगटैंक के बंड पर कनेर, मीठी नीम, स्थानीय बीज बोवाई कर उनकासंरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. Case No. P2/992/24 Shri VIJAY JAIN, Owner, Village- Kundam, Tehsil-Kundam, Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.50 ha. (M-Sand-3073 cum per annum) (Khasra No. 270, 271/2, 272) Village:

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

Bhonkadeori Tehsil: Kundam District: Jabalpur (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/471380/2024 DEIAA- Re-appraisal.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक Vijay Kumar Jain S/o Shri Panna Lal Jain एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Vijay Kumar Jain S/o Shri Panna Lal Jain Resi- Vill- Kundam, Tehsil-Kundam, District – Jabalpur, State – Madhya Pradesh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी 1.15 Ha.			
स्थल	Village: Bhonkadeori, Tehsil: Kundam, District: Jabalpur (M.P)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्रमांक 1685 / खनिज / 2016-17 जबलपुर दिनांक 21.10.2016 के अनुसार स्वीकृत ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का उत्पादन क्षमता 8,550 घनमीटर/वर्ष			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है			
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण			

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (भोंकादेवरी) दिनांक - 15.04.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक 32/DEIAA/ 2016 जबलपुर दिनांक 02.06.2016 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	B2 Case (डिया प्रकरण)
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 2,048 घनमीटर/वर्ष, म-साँड - 3,073 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1261/खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक 21.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 1 खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिससे दोनों खदानों का कुल रकबा 2.97 Ha होता है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1261/खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक 21.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1261/खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक 21.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महगवाँ जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.12.2001 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र पर क्रशर प्लांट प्रस्तावित है ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपण किया है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— पक्की रोड लगभग 45 मीटर दूर पर स्थित है अतः इस संबंध में 155 मी. का सैटबैक प्रस्तावित है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	डिया प्रकरण
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 32 के सरल क्रमांक— 41 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	B2 Case

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में एक पक्की रोड लगभग 45 मीटर दूर पर स्थित है अतः इस संबंध में 155 मी. का सैटबैक प्रस्तावित है। अतः खनन योग्य क्षेत्र 0.32 हे. उपलब्ध होता है जिससे आवेदित मात्रा प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 20 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान गई। स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन में 7.50 मीटर खुदा हुआ है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपण किया है ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट

सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककृए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर पत्थर 2,048 घनमीटर/वर्ष, एम-सेंड – 3,073 घनमीटर/वर्ष है।
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्लेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्लेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.93 लाख प्रति वर्ष।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	30,000	10,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 300 days	Nil	60,000
2	Four Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [434 m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	65,100	10,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length	1,00,000	5,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	1000 m , Width 6.0m) 1000m @ 100Rs./Meter		
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	20,000
5	Plantation (1150 plants will be planted & Distribution during the First year)	2,22,500	15,000
6	Wire Fence 434 m x 100	43,400	10,000
7	Crusher Pollution Equipment	1,50,000	50,000
Carbon Sequestration			
8	For Carbon Foot print tree adaptation	50,000	50,000
Labour Welfare			
9	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (18 x 15 feet)	10,000	1,000
10	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
11	Occupational health Survey 18 Labour @ 500 Rs. = 6000 Rs./twice per year @500 x 2 x 18	Nil	18,000
12	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 18 labor @ 800 Rs.	14,400	2,000
13	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
14	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	1,000
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	1500	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
15	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
16	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	Total EMP Cost	7,26,900	2,93,000

CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs./Year)
1.	ग्राम भोंकदेओरी के शासकीय माध्यमिक शाला को मरम्मत हेतु	50,000
	Total	50,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1150 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों की कुल संख्या - 2000				
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या	टिप्पणी
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> • पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। • परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। • तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ। • गारलैंड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की बंड पर बीज रोपण किया जाइएगा। रख रखाव लीज पीरियड तक किया जाएगा
	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<p>परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4-5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे।</p> <p>पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</p> <p>पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का ट्री गार्ड।</p>
	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300	<p>पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</p> <p>परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी।</p> <p>ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी।</p> <p>तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ।</p>

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।
ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250	<ul style="list-style-type: none"> गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No. P2/1013/24 Shri VINOD AGARWAL, Lessee, 960, C.P. MISSION COMPOUND, JHANSI, SIPRI BAZAR, UTTAR PRADESH. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 0.950 ha. (30,000 cum per annum) (Khasra No. 1/12,) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

27. Case No. 8922/2021 Shri RUCHIR JAIN, LEASE OWNER, Saikripa, Near Santoshi Mata Temple, J.R. Birla Marg, Raghuraj nagar, Satna, Madhya Pradesh – 485005. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.227 ha. (40,000 cum per annum) (Khasra No. 1510(P)) VILLAGE- LAKHERI, TEHSIL- RAJNAGAR, DISTRICT- CHHATARPUR, (M.P.) EIA SIA/MP/MIN/477197/2024. EIA.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 7.6.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रुचिर जैन (पट्टेदार) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ruchir jain S/o Shri Shripal Jain R/O -Sai Kripa , Near-Santoshi Mata Mandir ,J.R.Birla Road District-Satna (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1510/ 1.227 ha(सरकारी भूमि/नॉनफॉरेस्ट लैंड)
स्थल	VILLAGE- LAKHERI, TEHSIL- RAJNAGAR ,DISTRICT- CHHATARPUR AND STATE- MADHYA PRADESH.
लीजस्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश, भोपाल आदेश संख्या- 11632-34 / खनिज/उ. प्र./ नं. क्र. / 2020 भोपाल दिनांक- 21/01/2021के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार रॉकब्रेकर प्रस्तावित है। पत्र क्रमांक 39777- दिनांक 8.5.2024
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन -40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन -40,000 घनमीटर/वर्ष है
टॉर	TOR Recommended in 548 th SEAC Meeting dated 10/02/2022. TOR Letter no. 3310/SEIAA/2022, dated 04/03/2022
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-छतरपुर (म.प्र.)के 500 मीटर प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/6301/ खनिज/2021, छतरपुर, दिनांक-09/11/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला-छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/ 5067, छतरपुर, दिनांक-05/12/2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार तहसील राजनगर प्रभारी मंडल चंद्रनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक- 76/ प्रवा0ना0तह0/ 2012, छतरपुर, दिनांक-25/05/2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत लखेरी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक/141/2021, दिनांक 10/10/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	---

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावितस्थल पर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 12 पेड़ है । यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 02 पेड़ है । काटे गये पेड़ों के एवं में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20 पेड़ है ।
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में रेलवे लाइन 98 मीटर पर स्थित है । खदान के दक्षिण दिशा में मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रूट है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-52 एवं पृष्ठ क्रमांक- 42 पर दर्ज है ।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-40000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशरप्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशरप्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.52 लाख प्रतिवर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 1780 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days)	NIL	80,100
2	Garland Drain is proposed (240m x 1.5m x 1.5m) 2. Settling tank is 15m x 1.5m x 2.5m (02 Nos.)	2,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (126m X 5m) @500/sqm	3,15,000	31,500

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4	Plantation in Barrier Zone @ Rs. 200/Plant. Total 450 Saplings- 450 x Rs.200= 90,000/-	1,68,000	16,800
	Plantation in Approach Road @ Rs. 500/ Plant. Total 50 Saplings- 50 X Rs. 500=25,000/-		
	Plantation in Village & School area @ Rs. 50/Plant. Total 1060 Saplings- 1060 X Rs. 50= 53,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 30 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	30,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 30 workers+ (2 Extra) =32 @ Rs. 1500/worker	48,000	4,800
11	Shelter rooms for labors (30*10) =300 Square feet @Rs.800/square ft.	2,40,000	24,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 10 trucks @1000/truck	NIL	20,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5,000
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 447m @ 300/meter	1,34,100	1,341
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed	
18	Distribution of LED Bulb for reduction of carbon emission	50,000	NIL
Total		13,42,100/-	452,541/-

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.1 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

B. FOR SOCIAL WELFARE -CER (As per MoEF&CC OM dated 25/02/21)		
क्रमांक	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु
1	लखेरी गांव में पेयजल हेतु एक हैंडपम्प दिया जायेगा और हैंडपंप के चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेनवाटर हार्वैस्टिंग पिट की स्थापना प्रथम वर्ष में किया जायेगा।	50,000 /-
2	लखेरी गांव के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि जमा प्रथम वर्ष में किया जायेगा।	50,000 /-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1560 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में शासकीय भूमि	शीशम, करंज, सागौन, खमेर, बबूल नीम, पीपल, चिरोल, बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	450
2	परिवहन मार्ग पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर	कदंब, अमलतास, अशोक, पुतरंजीवा, नीम, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	50
3	लखेरी एवं नायगांव ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, जामुन, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	520
4	रेलवे लाइन के आस पास वृक्षारोपण	शीशम, करंज, सागौन, खमेर, बबूल नीम, पीपल, बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	520
5	लखेरी प्राथमिक स्कूल में	गुलमोहर, अमलतास, शीशम, नीम, पीपल, बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	20
योग			1560
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024**

28. Case No. P2/09/2023 Shri MANOJ PANWAR, Lessee, R/o- Ward no-13, 173mahatma gandhi marg ranapur, District- Jhabua(M.P.) Prior Environment Clearance for Dhakochi Stone Mine in an area of 2.00 ha. (6984 cum per year) (Khasra No. 313/1), Village-Ranapur, Tehsil-Ranapur, District-Jhabua (MP) [454818] [DEIAA] (Query Rply)

प्रस्तावित Stone खदान का समिति की पूर्व 722वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लैस्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

प्रकरण पुनः 05/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार उपस्थित नहीं हुए ।

प्रकरण आज दिनांक 07/06/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिमसे परियोजना प्रस्तावक Shri MANOJ PANWAR online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। रॉकब्रेकर द्वारा माइनिंग कार्य किया जावेगा संशोधित रॉकब्रेकर पर आधारित माइनिंग प्लान का अनुमोदन रीजनल हेड, इन्दौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 39816 दिनांक 18/05/2024 द्वारा किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Manoj, S/o Shri Sagarmal Panwar R/o- Ranapur, District- Jhabua (M.P.) Pin Code-457993
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	313/1 (Gvt. land), –नॉन फॉरेस्ट लैंड), Area -2.00ha
स्थल	Village- Ranapur, Tehsil- Ranapur, Dist.- Jhabua, Madhya Pradesh
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1095/खनिज/उ.प./2019, दिनांक 06/07/2019 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लैस्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित नहीं है। रॉकब्रेकर दवरा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	माइनिंग कार्य किया जावेगा। पत्र क्रमांक 39816 दिनांक 18/05/2024
प्रकरण की स्थिति	पर्यावरणीय स्वीकृति
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्रमांक 03/डिया/2016, झाबुआ दिनांक 31/05/2016 पत्थर-6,984 घनमीटर/वर्ष है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-6,984 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है, और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-6,984 घनमीटर/वर्ष है।
टॉर	Not Applicable B2 project
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 974/खनिज/2023 झाबुआ दिनांक 02/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृति नहीं है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 974/खनिज/2023 झाबुआ दिनांक 02/10/2023 अनुसार 0 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 974/खनिज/2023 झाबुआ दिनांक 02/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडिया स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ग्रामपंचायत की अनापत्ति	कार्यालय नगरपरिषद् रानापुर जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक क्यू 47/2019 दिनांक 30/01/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित हैं।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-3। ● पेड़ काटा नहीं जायेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा में पक्का रोड 44 मीटर पर, 56 मीटर सेट बैक देते हुए मॉडिफाइड माइनप्लान के साथ सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम दिशा में आबादी 499 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक-17 में सरल क्र. 11 में है।
जनसुनवाई	लागू नहीं है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमानस्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। केवल 40 प्रतिशत फेन्सिंग है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण नहीं है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमानस्थिति	वर्तमान में गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक नहीं बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	पिट्स में बैंचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	क्रेशर एरिया के तरफ 80 पौधारोपण ; आम शीशम बेल पीपल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि 600 नये पौधे बांटा गया है नर्सरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की गांववालो को चप्पल जूता बांटा गया है और ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की व्यवस्था दी जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-स्टोन-**6984** घनमीटर/वर्ष
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायुप्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.98 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.25 लाख प्रतिवर्ष।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 2,000 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days)	NIL	90,000
2	Garland Drain is proposed (570m x 1.5m x 1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m (01 No.) 2. Settling tank is 10m x 04m x 1.5m (01 No.)	10,0,000	20,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200mx 5m) @500/sqm	Already constructed	50,000
4	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. Total plantation in Approach road - 150 150 plant/year x Rs.500= 75,000/- Plantation in Village & school @ Rs. 50/plant. Total plantation in village and School area 1650 (1650 X Rs. 50)= 82,500/- Plantation in barrier zone @ Rs. 200/plant. Total plantation in Barrier zone - 600 600 plant/year x Rs.200= 1,20,000/-	2,77,500	27,750
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	Already constructed	3,000
8	Medical Check-up for 05 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	5,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	10,000	2,000
10	PPEs for other mining operations for 5 workers + (2 Extra) =07 @ Rs. 1500/worker	Distributed	2,500
11	Shelter rooms for labors (5*10) =50 Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha.@9000	Already constructed	4,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 3 trucks @1000/truck	NIL	3,000
14	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	NIL	NIL
	Barbed fencing for 238 m @ 300/meter	71,400	7,140
15	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Already installed	20,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

16	Pollution activities due to the crusher	75000	10,000
17	Vocational Training for 05 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	7500
18	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	15,000	-
19.	restoration of barrier zone and any other activity related to mine	50,000	
	Total	613,900/-	455,890/-

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम रानापुर के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खातेमें योगदान राशि जमा प्रथम वर्ष में किया जायेगा।	60,000 / -
रानापुर गांव में पेयजल हेतु एक हैंडपम्प दियाजायेगा और हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेनवाटरहार्वैस्टिंग पिट की स्थापना प्रथमवर्ष में की जाएगी।	60,000 / -

6. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधों का बदलावतथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
प्रथमवर्ष			
1	बैरियरजोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	600
2	परिवहनमार्ग (200 मीटर)	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल,जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,।	150
3	रामपुरिया, अमरगढ़ एवंबमनी, ग्रामवासियोंमेंवितरणहेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	1600
4	प्राइमरीस्कूलकुण्डल, शासकीय प्राइमरीस्कूल, बसंतपुर	कचनार, पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	50

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवंलीजअवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृतपौधों का बदलाव खनन् अवधि तककियाजाये । गरलेण्डड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीजबोबाईकरउनकासंरक्षणकियाजाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों मेंपौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवितव्यक्ति का नाम एवंप्रजाति का विवरणदेतेहुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालनप्रतिवेदनमें शामिलकरेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. P-2/508/24 Shri OCHAVLAL SOMANI, Owner, 375, Pratapganj marg, District - Alirajpur M.P. Prior Environment Clearance for Dolomite in an area of 4.0 ha. (40000 TPA) (Khasra No. 65, 66, 68, 69), Village- Aambuaa, Tehsil- Alirajpur, Distt. Alirajpur (M.P.).

प्रकरण आज सेक की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/2024 एवं 764-ए दिनांक 05/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 05/6/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri OCHAVLAL SOMANI, Online.एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ज्योग्रीन इंवायरो हाऊस प्र.लि.ए लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri OCHAVLAL SOMANI, Owner, 375, Pratapganj marg, District - Alirajpur M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	65, 66, 68, 69 (Govt. Land)	4.0 hectare.
स्थल	Village- Aambuaa, Tehsil-Alirajpur, District- Alirajpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 05/05/13 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Dolomite - 40000 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Dolomite - 40000 TPA है।	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 119 दिनांक 01/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 119 दिनांक 01/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 119 दिनांक 01/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आम्बुआ जिला अलीराजपुर के क्रमांक 484 दिनांक 22/01/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 12 पेड़ लगे हुये हैं जिनमें से कोई भी पेड़ नहीं काटा जायेगा
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा-खदान के पश्चिम दिशा में पक्की सड़क 915 मीटर पर परिलाक्षित हो रही है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.36 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरणप्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-Dolomite - 40,000 TPA
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 19.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.31 लाख प्रति वर्ष।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	30,000	10,000
1(b)	Cost of Water own(7000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 300 days	Nil	60,000
2	Four Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [434 m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	65,100	10,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1000 m , Width 6.0m) 1000m @ 100Rs./Meter	1,00,000	5,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	20,000
5	Plantation (4800 plants will be planted & Distribution during the First year)	504,000	100,000
6	Wire Fence 434 m x 100	43,400	10,000
7	Crusher Pollution Equipment	1,50,000	50,000
Carbon Sequestration			
8	For Carbon Foot print tree adaptation	100,000	100,000
	Labour Welfare		
9	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (18 x 15 feet)	10,000	1,000
10	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
11	Occupational health Survey 31Labour @ 500 Rs. = 6000 Rs./twice per year @500 x 2 x 31	Nil	31,000
12	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 31labor @ 800 Rs.	18,600	3,000
13	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
14	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	100,000	100,000
	Solid Waste Management		
a.	Bins 2 Nos.	1500	
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
15	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
16	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	Total EMP Cost	1,142,600	541,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

3. CER Table

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (.रु)
1.	ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन का रंग रोगन एवं मरम्मत की जाएगी	90,000 -/
2.	LED Bulb Solar Lamp in Village Panchayat Bhawan and Primary School in village.	1,00,000
	कुल	190,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षां का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 1000 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सफेद कस्टार, सिस्सू आदि।	1600
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(1200 मीटर) के दोनों ओर 1.5 मीटर की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	1600
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1600
4			4800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

30. Case No. 8605/2021. Smt. Gaindarani Yadav W/o Shri Prahlad Singh Yadav, Village - Jhaloni Kasera, Post - Goodar, Tehsil - Khaniyadhana, Dist. Shivpuri, MP. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha., M-Sand – 25000 M³/Year, Stone (Gitti) – 5000 M³/Year. (Khasra No. - 856), Village - Garethaa, Teh - Pichhore, Dist. - Shivpuri (M.P.). Ammendment in EC,

प्रकरण सेक 764-ए दिनांक 05/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

प्रस्तावित खदान के लिये सिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Gaindarani Yadav, ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

SN	Projects Details		
1.	Online Proposal No	SIA/MP/MIN/471707/2024.	
2.	Proposal /Activity Name	Smt. Gaindarani Yadav W/o Shri Prahlad Singh Yadav, Village - Jhaloni Kasera, Post - Goodar, Tehsil - Khaniyadhana, Dist. Shivpuri, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha., M-Sand – 25000 M ³ /Year, Stone (Gitti) – 5000 M ³ /Year. (Khasra No. - 856), Village - Garethaa, Tehsil - Pichhore, Dist. - Shivpuri (M.P.). Ammendment in EC. SIA/MP/MIN/471707/2024.	
3.	Project Proposal For	Amendment (PP Submit affidavit dated 26/04/24).	
4.		A. 25° 8'20.00"N 78°15'46.30"E B. 25° 8'24.91"N 78°15'50.86"E C. 25° 8'22.85"N 78°15'53.48"E D. 25° 8'17.75"N 78°15'49.08"E	
5.	EC Status	➤ EC Identification No. - EC21B001MP133703 ➤ File No. - 8605/2021 Date of Issue EC - 08/11/2021.	
6.	LOI details	➤ LOI issued by Collector office (Mining office) Shivpuri vide letter no. dated 1527 dated 12/02/2024. ➤ Revised LOI issued by Collector office (Mining Section) Shivpuri vide letter no. dated 249 dated 12/02/2024.	
7.	Description of Project	We are applying for an amendment in the existing EC issued by MP-SEIAA dtd 08-11-2021 for our project at village Garetha , Tehsil: Pichhore Distt: Shivpuri for Project Garetha Stone quarry at an area of 2.0 ha	
8.	Previous EC Apply details	Capacity 4121 to 30000 cum per annum	
9.		Product	Quantity
		M-Sand	25000
			Unit
			Cubic meter per year.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	Gitti	5000	Cubic meter per year.
10.	Risk Assessment	Submitted by PP.	
11.	Env. Cons	Mr. Ram Raghav, M/s Green Circle, Inc. Vadodara (Gujrat).	
12.	Consent Status	PCB ID: 145361, Date of consent issued 15/02/2024, Validity of consent (Valid up to) 28-04-2028.	
13.	Google image status Application).	Coordinates (As per	

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार ने बताया कि यह प्रकरण ईसी अमेन्डमेन्ट के अंतर्गत आवेदित है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व सिया से से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें ईसी शर्तों का पालन जैसे- फेन्सिंग, पोधारोपण एवं सामाजिक आर्थिक कार्य अपूर्ण पाये गये अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि उपरोक्त कार्य पूर्ण करने के पश्चात् प्रकरण पर पुनः विचार किया जावेगा।

31. Case No. P2/1017/24 Shri Mohanlal Vaswani, Director, M/s Hotel Shivansh LLP, Plot No. 47/4/2,47/5/2,47/6/2,47/4/2,47/7,63/5/2,63/6 Kasba Ujjain, Nanakheda, Harifatak Road, Dist.-Ujjain- (M.P.). 456010. Prior Environment Clearance for Hotel Shivansh LLP in an area of 0.872 ha. (23178.16 Sq.m.) at Plot No. 47/4/2, 47/5/2, 47/6/2, 47/4/2, 47/7, 63/5/2, 63/6 Kasba Ujjain, Nanakheda, Harifatak Road, Dist.-Ujjain - 456010 (M.P.). Total Plot Area – 8720 Sq.Mt., Total Built up Area – 23178.16 Sq.m. Cat. 8(a) Building Construction Projects.

The case was presented by Environmental Consultant Shri Shubham Dubey from M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.) along with PP Shri Mohanlal Vaswani on-line, Director . During presentation Environmental Consultant submitted that:

PP submitted following information on Parivesh poprtal.

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/476938/2024.
2.	Project Name	Shri Mohanlal Vaswani, Director, M/s Hotel Shivansh LLP, Plot No. 47/4/2,47/5/2,47/6/2,47/4/2,47/7,63/5/2,63/6 Kasba Ujjain, Nanakheda, Harifatak Road, Dist.-Ujjain- (M.P.). 456010. Prior Environment Clearance for Hotel Shivansh LLP in an area of 0.872 ha. (23178.16 Sq.m.) at Plot No. 47/4/2, 47/5/2, 47/6/2, 47/4/2, 47/7, 63/5/2, 63/6 Kasba Ujjain, Nanakheda, Harifatak Road, Dist.-Ujjain - 456010 (M.P.).

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		Total Plot Area – 8720 Sq.Mt., Total Built up Area – 23178.16 Sq.m.				
		Cat.	8(a)Building	Construction	Projects.	
		SIA/MP/INFRA2/476938/2024.				
3.	Description of Project	M/s Shivansh LLP is proposing the expansion at Survey No. 47/4/2, 47/5/2, 47/6/2, 47/7, 63/5/2, 63/6, 63/7 and 63/8 Village, Nanakheda-Tehsil and District Ujjain, (M. P.).				
4.	Project Proposal For	Expansion.				
5.	Area details	Name of Product	Existing Area	Proposed Area	Total Built up Area	Unit
		Room, Restaurant, Hall and Office.	13,842.32	9,335.84	23,178.16	Sq.m
6.	Area details as per Form -1	Total Plot Area – 8720 Sq.Mt., Total Built up Area – 23178.16 Sq.m.				
7.	Water requirement & Sources	Total Water Requirement: 145.26 KLD Fresh Water Requirement: 109.42 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 35.84 KLD Source of Fresh Water: Ground Water				
8.	Land Registry	27 March 2014.				
9.	Solid Waste Generation (kg/day)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Municipal Solid Waste-466.58 kg/day • ➤ Organic Waste186.63 kg/day 				
10.	Sewage disposal NoC	PP Apply Letter No. Nil dated 26/03/2024.				
11.	Extra treated water NoC	PP Apply Letter No. Nil dated 26/03/2024.				
12.	Building Permission	Nagar Palik Nigam- Ujjain letter No. PMT/UJJ/0203/101/2024 date 02/02/2024.				
13.	Latitude & Longitude	Latitude Longitude 23° 9'42.08"N 75°46'42.41"E 23° 9'40.71"N 75°46'43.44"E 23° 9'39.56"N 75°46'37.48"E 23° 9'41.23"N 75°46'37.09"E				
14.	RWH Pits	Rain Water Harvesting proposed 3				
15.	Parking details	217 ECS (After Expansion).				
16.	DG set details	DG of 3x650KVA.				
17.	CTE/CTO Status	CTE-60101, Date of latest Consent issued: 30/04/2024, Validity of latest Consent (valid up to) 31/03/2029.				
18.	Env. Consultant	Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, INDORE (M.P.).				

During presentation PP submitted following salient features of project:

- Hotel Shivansh LLP has proposed the **Expansion of “Hotel Shivansh”, at Plot No. 47/4/2, 47/5/2, 47/6/2, 47/7, 63/5/2, 63/6, 63/7, 63/8, Village- Nanakheda, Ujjain (MP).**
- The total built-up area after expansion will be 23178.16 m².

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

- **PP has already obtained Consent to Establish for built-up area of 13842.32 m², vide CTE No.CTE-60101.**
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area $\geq 20000 \text{ m}^2$ and $< 150000 \text{ m}^2$) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.
- Comparison between existing and proposed expansion

S. No.	Description	Existing	Proposed	Total After Expansion	Unit
1	Plot Area	8720	0	8720	SQMT
2	Building Height	18	06	24	m
3	No. of floors	BF1 + GF + Terrace Floor + Floor 1 to 5	BF2 + Service Floor + Floor 6	BF1&2+ GF + Service Floor + Terrace Floor + Floor 1 to 6	-
4	Total Built-up Area	13842.32	9335.84	23178.16	SQMT
5	Total No. of Rooms	130	40	170	No.
6	Total No. of Restaurant	1	2	3	No.
7	Total No. of Office	0	5	5	No.
8	Num. of Hall	3	2	5	No.
9	Occupancy (Guest Rooms +Hall+ Restaurant+ Office)	590	414	1004	No.
10	Fixed Staff	80	80	160	No.
10	Total Cost of Project	47	15.1	62.1	CR
11	Permissible Ground Coverage @30%	2616	0	2616	SQMT
12	Achieved Ground Coverage @29.97%	2607.28	0	2607.28	SQMT
13	Total Water Requirement	103.75	41.51	1445.26	KLD
14	Fresh Water requirement	77.35	32.07	109.42	KLD
15	Waste Water Generation	81.83	35.09	116.92	KLD
16	Treated Water Available	73.6	31.6	93.74	KLD
17	Capacity of STP	95	40	135	KLD

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

18	Total Solid Waste Generation	294.8	171.78	466.58	KG/DAY
19	Organic waste	117.92	68.71	186.63	KG/DAY
20	Quantity of Sludge Generated from STP	20	7.5	27.5	KG/DAY
21	Treated Water Available for Reuse	26.40	9.44	35.84	KLD
22	Rain Water Harvesting - Recharge Pits	4	0	4	No.
23	Total Parking Required as / Building Bye Laws	0	180	180	ECS
24	Total Parking Proposed	152	65	217	ECS
25	Basement I Parking	152	0	152	ECS
26	Basement II Parking	0	65	65	ECS
24	Green Area @14.80 % of plot area	1290.76	0	1290.76	SQMT

During presentation committee suggested revised details of revised CER which has incorporated by the PP vide letter dated 07.06.2024 has submitted the revised details of quarries which was placed before the committee. After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of “Hotel Shivansh LLP”**. **Total Plot Area-8720 m², Total Built Up area after expansion-23178.16 m², at Plot No. 47/4/2, 47/5/2, 47/6/2, 47/7, 63/5/2, 63/6, 63/7, 63/8, Village- Nanakheda, Ujjain (MP)., Cat. 8(a) subjects to the following special conditions:**

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water

- (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
 - v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
 - vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
 - vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
 - viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
 - ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.
 - x.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 03 DG Sets of 650 KVA as a source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The

location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG sets of (3x650 kVA shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low Sulphur Diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

- iii. The total water requirement during operation phase is 145.26 KLD out of which 109.42 KLD is fresh water requirement and 35.84 KLD will be the total recycled water generated, the wastewater will be treated in STP (MBR technology) of capacity of 135 KLD out of which 29.39 KLD recycled water will be used for flushing, and 6.45 KLD water will be used for horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided.

In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

- xiii. For rainwater harvesting, 04 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 10.6 m³/hr. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- xix. Sewage shall be treated in the MBR based STP (Capacity - 135 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 135 KLD capacity (based on MBR technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise

Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

- i. Total waste 466.58 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 186.68 Kg/day and non- organic waste 279.9 Kg/day), E- waste 180.72 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.5 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. Total 100 trees shall be planted in the area of 1290.76 m² (14.80 % of total plot area) within the project site.

- ii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stock piled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iv. Total Parking's arrangement of 217 ECS (Basement-I 152 ECS & Basement-II-65 ECS).
- v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the

project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & Corporation Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- v. The proposed EMP cost is Rs. 683 lakhs capital cost and 54 Lacs lakhs/year as recurring cost.
- vi. For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs 62.1 Lacs.
- vii.

S.No.	Particulars	Total in lacs	First year	Second Year	Third Year
1	Plantation along Kshipra River in consultation with DFO and amount to be deposited to DFO Ujjain within 03 months.	20	10	5	5
2	Skill development programme- 50 students (25 Males and 25 Females) through local ITI	12.1	5	5	2.1
3	Infrastructure Development at School of studies in Earth Sciences , Vikram University, Ujjain	30.0	10	10	10
	Total in lac	62.1	25	20	17.1

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

32. Case No. 9559/23 Shri Jitendra Singh Gurjar, Village-Lakhangaon, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP)-473551. Prior Environment Clearance for Deori Khurd Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (1,33,600 cum per annum) (Khasra No. - 228/1), Village - Deori Khurd, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri(MP)

प्रस्तावित पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री जण्डेल सिंह गुर्जर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंडास्ट्रियल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Jitendra Singh Gurjar, S/o Shri Jandel Singh Gurjar Resi-Village- Lakhangaon, Tehsil & District-Shivpuri (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	228/1 (शासकीय- भूमि)	4.00 hectare.	
स्थल	Village – Deori Khurd, Tehsil – Narwar, District - Shivpuri (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक /उ.प. /क्यू . एल .85 /17 /22 दिनांक 19/09/2022 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 07/10/2022, कुल क्षमता- 1,33,600 घनमीटर/वर्ष, (पत्थर- 26,720 घनमीटर/वर्ष, एम-सेण्ड -1,06,880 घनमीटर/वर्ष,)		
स्वीकृत माईनिंग	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हाँ/ना	हाँ/ना	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । नया प्रोजेक्ट , बी- 1 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम– देवरी खुर्द दिनांक– 13/01/2024		
टॉर	सेक की 623 वीं बैठक दिनांक 22/02/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 3163 दिनांक 21/03/2023 के द्वारा टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।		
उत्पादन क्षमता	कुल क्षमता– 1,33,600 घनमीटर/वर्ष, (पत्थर– 26,720 घनमीटर/वर्ष, एम–सेण्ड –1,06,880 घनमीटर/वर्ष,)		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 06/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 06/11/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 06/11/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है। एवं मरघट (शमशान घाट) 200 मीटर से अधिक है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देवरी खुर्द जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्र. 46 दिनांक 22/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा— कच्चा रोड लगभग 20 मीटर एवं नहर लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। जिससे 50 मीटर का सेटबैक दिया जायेगा जिसमें 200 पौधों का रोपण किया जायेगा।
	पूर्व दिशा— कच्चा रोड लगभग 11 मीटर एवं नहर लगभग 246 मीटर की दूरी पर है।
	दक्षिण दिशा— शमशान घाट लगभग 310 मीटर एवं मानव रहबासी लगभग 358 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	सेटबैक छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 3.0341 हेक्टेयर है एवं नोन माईनिंग क्षेत्र 0.9659 हेक्टेयर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	08 / 05 / 2024
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 13/01/2024 को संपन्न 10 आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम—सेण्ड खदान पत्थर 26,720 घनमीटर/वर्ष एवं 106880 घनमीटर/वर्ष,
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट एवं एम—सेण्ड में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.93 लाख प्रति वर्ष

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	2,97,000
1(b)	Water requirement- 6.6 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (840m in length × 6m in width)	1,00,000	50,000
Q	PLANTATION SCHEME		
	a) Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(1200X200= ₹ 2,40,000)	
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 50/plant.	(2000X50 = ₹ 1,00,000)	
	d) Plantation in no mining zone @ Rs.100/plant (including tree guard)	(1000X 100 = ₹ 1,00,000)	
	d) Plantation along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(600X 400 = ₹ 2,40,000)	
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 840 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 2 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	1,50,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (55 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	55,000
6	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30 labour @ Rs. 10,000/cooler).	30,000	6,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima	5,000	1,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 55 Labors -30 × 500 × 2)	-	30,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 30workers - 30× 1500)	45,000	3,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
15	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1308 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,30,800	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control`	1,50,000	15000
19	Wire fencing (820 m) @200 rupees/meter.	1,64,000	5,000
20	For Water harvesting	1,00,000	10,000
	TOTAL	17,54,800/-	5,93,000/-

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. **2.50** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से जन आस्था केन्द्र में 2,00,000 की राशी से सोलर ओपरेटेड पंप एवं सोलर लाईट लगाएगे एवं 50,000 रू पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम देवरी खुर्द के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	2,50,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **4800** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	650

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	320
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3530
4	खनन रहित क्षेत्र में वृक्षारोपण	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
योग			4800
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No P2/887/24 ARVIND JAISWAL, owner, Village-Daudwa, Tehsil-Bhikangaon, M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti), in an area of 2.0 ha.) (Stone – 5044 m3/Year) (Khasra No. 203/6] 203/8) Vill. Daudwa, Tehsil – Bhikangaon, Distt. Khargone SIA/MP/MIN/ 466308/2024 B-2

प्रस्तावित खदान समिति की पूर्व 761वीं बैठक दिनांक 30/05/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 07/05/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद जैसवाल, ऑनलाईन

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	ARVIND JAISWAL, owner, Village-Daudwa, Tehsil-Bhikangaon, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	203/6, 203/8 (निजी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	Vill. Daudwa, Tehsil – Bhikangaon, Distt. Khargone	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 596 दिनांक 20/8/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 294 दिनांक 04/10/2018 के द्वारा पत्थर-5044 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 5044 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 5044 m ³ /Year	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 16/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौड़वां जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 472 दिनांक 15/8/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण खरगोन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-59 के सरल क्रमांक-64 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में पेड़ नहीं लगाये गये हैं।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone – 5044 घनमी./वर्ष ।
6. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
8. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

9. पिट्स में बेंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
10. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
 11. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 12. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 13- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
14. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 9.66 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.65 लाख प्रति वर्ष ।

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private water for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	50,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 1 tanker x 300 Rs./per day X 250 days	Nil	75,000
2	Two Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [602 m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	69,150	7,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 346 m , Width 6.0m) 346 m @ 500Rs./Meter	1,73,000	10,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4	Plantation (500 plants will be planted & 1500 Distribution in the First year)	2,85,000	25,000
5	Wire Fence 346 m x 500Rs.	1,73,000	30,000
Carbon Sequestration			
6	Solar Panel installation with help of Gram Panchayat NOC	1,50,000	50,000

Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (11 x 15 feet)	10,000	1,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
8	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. =12500Rs./twice per year = 25000	Nil	25,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @ 1000 Rs.	25,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	1,000
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
13	Vehicle Maintenance +PUC Certification	Nil	5,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	Total EMP Cost	9,66,650	2,65,000

15. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	दौड़वा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	1,00,000
	Total	1,00,000

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों की कुल संख्या - 2400				
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या	टिप्पणी

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरसा (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	<ul style="list-style-type: none"> • पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। • परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी। • तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ। • गारलैंड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की बंड पर बीज रोपण किया जाइएगा । रख रखाव लीज पीरियड तक किया जाएगा
------------	------------	---	-----	---

प्रथम वर्ष	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	<ul style="list-style-type: none"> • परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4-5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे। • पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। • पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का ट्री गार्ड।
------------	--------------	--	-----	--

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रथम वर्ष	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।
	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000	<ul style="list-style-type: none"> गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

34. Case No. 10306/2023 Shri Varun Tiwari, Lessee, R/o Singrauli, Tehsil & District-Singrauli (MP)-486889, Prior Environment Clearance for Chatri Soil Quarry in an area of 1.76 ha. (3292 cum per year) (Khasra No. 1711, 1712, 1718), Village-Chatari, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [435010] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री वरुण तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, का नाम व पता	Shri Varun Tiwari, Lessee, R/o Singrauli, Tehsil & District-Singrauli (MP)-486889, E-mail-tiwarivarun166@gmail.com, Mobile-7828590801. Prior Environment Clearance for Chatri Soil Quarry in an area of 1.76 ha. (3,292 cum per year) (Khasra No. 1711, 1712, 1718), Village-Chatari, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [435010]	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.. 1711, 1712, 1718,	एरिया - 1.76 ha. (निजी भूमि.)
परियोजना स्थल	ग्राम - चतारी तहसील, चितरंगी, सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना की श्रेणी	बी-2	
सैधातिक सहमति	पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 08/07/2016.	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाईल-3,292 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्वाईल -3,292 घनमी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.20 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा-4.90 कि.मी. की दूरी पर उ.प्र. की सीमा स्थित है। मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत चतरी जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 14/052016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पूर्व दिशा- पक्का रोड 441 मी., रोडवेज 268 मी. पूर्व दिशा- नदी 77 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 34 के सरल क्रमांक-49 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से दिनांक 08/10/2016 जारी हुई है एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं बिन्दु क्रमांक 11,13,15 और 16 का वर्तमान स्थिति पालन प्रतिवेदन की विशेष शर्तें सामान्य शर्तें 09,10 इनका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं प्रमाणित दस्तावेज , व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रस्तावित 2100 पौधों का न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे तथा सामाजिक कार्य के अंतर्गत पालक शिक्षक संघ में कार्य का प्रमाणिक दस्तावेज जमा कर दिया जाये, तत्पश्चात उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 23/11/23 परीक्षण हेतु रखा गया है, परियोजना प्रस्तावक श्री वरुण तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रकरण का परीक्षण

- समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि पूर्व प्रदाय डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्र 120 वृक्ष लगाये हैं।
- खदान के चारों ओर फेन्सिंग भी नहीं पाई गई।
- सी.ई.आर. संबंधी किये गये कार्यों की दस्तावेज।

अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार को निर्देश दिया कि **कार्यों की दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ संशोधित फार्म-1 सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा**।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 07/06/2024 परीक्षण हेतु रखा गया है, परियोजना प्रस्तावक श्री वरुण तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 80 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 40 पेड़ लगाये गये एवं 450 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।
-------------------------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

2. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाइल-3,292 घनमी./वर्ष ।

3- EMP Table (Capital = 9.97 lakh & Recurring Cost= 1.34 lakh)

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 527 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep The settling tank will be of double "S" pattern.	55,000	2,000
3	Contribution in development & maintenance of existing Road length approx. 300m (@Rs 500/m) and its maintenance; Width 5.5m, edge to edge excluding shoulder)	1,50,000	5,000
4	AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr Soil@10000/yr	NIL	50,000
5	Installation of LED lights to mitigate the Carbon Footprint (Emission)		5,000
6	Total Plantation 1,575 trees		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 150rs./tree 1st year - up to 470 m periphery of Mine lease boundary (400 nos)	60,000	2,000
		Capital	Recurring

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road, and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year - Total 400 nos {300 nos on evacuation route up to 300 m both side and village area 100 nos (@ Rs 500/tree)} 1st year – 775 nos (25% of total trees) to be distributed to villagers (@Rs 50/tree)	2,00,000 + 38,750	15,000
	Sowing of the Dhatkumari slips, Prosobis seeds & Agew along the excavated garland drain.	10,000	1,500
7.	Wire Fencing (total 470 m long) only 20 m to be constructed @ ~Rs 200/m	4,000	500
8.	PUC certification of vehicles (1 tractor-trolley @ Rs 500 per vehicle twice a year)	-	1,000
Labour welfare			
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (10 x 10 ft.) with solar light	15,000	1,000
		Capital	Recurring
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 10000 x 2	20,000	1,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc. 8 x 2000)	16,000	2,000
Emergency Rescue Plan			
13.	First aid @ 500 per kit	500	
14.	Warning boards like red flags, cones & reflectors etc.	1000	500
Solid Waste Management			
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3000	4000
	b) Pit and Composting	3000	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	c) Transport of Dry Waste	4000	
	Total	5,80,000	1,36,500

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	प्रथम वर्ष में बैरियर जोन में वृक्षा रोपण किया जावेगा प्रजातियां जैसे :- <i>इमारती लकड़ी वाले वृक्ष :- इमारती लकड़ी वाले वृक्ष, बांस, सागौन, आम, जामुन, अमरुद, संतरा, कटहल, जंगल जलेबी, आवला, नीम, सीताफल आदि।</i>	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	प्रथम वर्ष में ग्रामीणों में कुल पौधों का वितरण किया जावेगा जैसे :- <i>करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू, पीपल आदि।</i>	100
		प्रथम वर्ष में परिवहन मार्ग के किनारे पौधरोपण किया जावेगा प्रजातियां जैसे:- <i>करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू, पीपल आदि।</i>	300
		प्रथम वर्ष में ग्राम क्षेत्र में पौधरोपण किया जावेगा प्रजातियां जैसे:- <i>अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा आदि।</i>	775

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

10. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
पालक शिक्षक संघ समिति 50,000 रु शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	50,000/-

35. Case No 11106/2023 SHRI RAJIV SHARMA, R/o Village & Tehsil- Pathar, District- Vidisha (MP)-464337 Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 3.13 ha. (8640 cum per year) (Khasra No. 11/1, 7/4), Village- Ramgarh, Tehsil-Pathari, District-Vidisha (MP) [435346] [DEIAA] Referred Back

प्रकरण का परीक्षण

- सेक की 741वीं बैठक 25/04/2024 प्रकरण को सिया को अनुशंसित किया गया था
- सिया द्वारा 850वीं बैठक में उक्त प्रकरण को सेक को रिफर्डबैक किया है।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार अजय मोहन, ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद की स्वीकृति है (उक्त प्रकरण को डिया के पत्र क्रमांक 857/ खनिज / डिया /2018 विदिशा, दिनांक 03/10/2018 के द्वारा फर्सी पत्थर-8640 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।) एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे ।

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया ।

36. Case No. 10463/2023 Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. 3, Panjhreh Bazar , District-Singrauli (MP)-486001 Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18169 cum per year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [438360] (B2)

प्रस्तावित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा (डिया) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके री-एप्राइजल हेतु प्रकरण आज दिनांक 11/10/2023 को रखा गया था। परियोजना प्रस्तावक श्रीमति संजुलता जैन बैठक में उपस्थित नहीं रही। एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Syed Iqtadar Tanweer Ultra Tech Environmental Consultancy, Laboratory, Thane (Maharashtra) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. - 3, Panjhreh Bazar, District - Singrauli (MP) - 486001, Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,169 cum per year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) [438360].
परियोजना का खसरा	खसरा नं.-33 / 1, 34 / 1, एरिया- 2.00 ha., Govt. Land
परियोजना स्थल	ग्राम- बैठन, तहसील- सिंगरौली, जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. दिनांक 15 / 09 / 2017.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र०. 225 दिनांक 03 / 02 / 2018 द्वारा स्टोन क्वारि क्वॉटिंग क्षमता - 18060 घनमीटर / वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक से पूर्व मे प्रदत्त ई.सी. के परिपेक्ष्य में बिन्दु क्र०. 13 एवं 15 के परिपेक्ष्य मे पालन प्रतिवेदन लिया जाना प्रस्तावित है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 18,169 घन मी/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-18,169 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/नगर निगम की अनुमति	कार्यालय, नगर पालिक निगम जिला – सिंगरौली का पत्र क्र०. 5376 दिनांक 24/06/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-41 के सरल क्रमांक – 80 पर दर्ज है।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री-एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र क्र०. 225 दिनांक 03/02/2018, स्टोन कशिंग क्षमता – 18060 घनमीटर/ वर्ष के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री-एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

प्रकरण पुनः समिति की 739 वीं बैठक दिनांक 23/04/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियत था किन्तु परियोजना प्रस्तावक उक्त बैठक में अनुपस्थित रहा।

प्रकरण आज सेक की 765 वीं बैठक दिनांक 07/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

- लीज में स्थित पेड़ों की संख्या – 20

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में 200 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **पत्थर – 18,169 घन मी/वर्ष**।
2. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगे।
- 5- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.91 लाख प्रति वर्ष ।

NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 520 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	60,000	5,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 670m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	2,01,000	15,000
4	AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr Soil@10000/yr	NIL	50,000
5	Installation of LED lights to mitigate the Carbon Footprint (Emission)		5,000
6	Total Plantation 1,800 trees		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 150rs./tree 1st year -up to 660 m periphery of Mine lease boundary (600 nos)	90,000	5,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year - 600 nos on evacuation route both sides (@ Rs 500/tree) 1st year – 600 nos distribute to villagers (@Rs 50/tree)	3,00,000+ 30,000	40,000
	D. Sowing of the Dhatkumari slips, Prosobis seeds & Agew along the excavated garland drain.	20,000	1,500
7.	Wire Fencing (460 m remains to be erected) @ ~Rs 500/m	2,30,000	5,000
8.	PUC certification of vehicles (2 Dumpers @ Rs 500 per vehicle twice a year)	-	2,000
Labour welfare			
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (10 x 10 ft.) with solar light	40,000	4,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 10000 x 2	20,000	2,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc. 10 x 2000)	20,000	4,000
Emergency Rescue Plan			
13.	Fire Fighting Equipments (1 No) @ 9500 / fire fighting and first aid @ 500 per kit	10,000	1,000
14.	Safety signage and warning boards like red flags, cones & reflectors etc.	2000	500
Solid Waste Management			
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3000	4000
	b) Pit and Composting	3000	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	c) Transport of Dry Waste	4000	
	Total	10,33,000	1,91,000

3. CER Table-

Particulars	Amount
प्रस्तावित सीईआर के लिए, गांव के स्कूल के पालक शिक्षक संघ के खाते में 70, -/000 रुपये की राशि जमा की जाएगी।	70,000/-

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क- बैरियर जोन में वृक्षारोपण

बैरियर जोन के अंतर्गत कुल 600 पौधे रोपे जाएंगे

वर्ष	स्थान	वृक्षों के नाम	टिप्पणी

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रथम वर्ष	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 660 मीटर परिधि तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- <i>इमारती लकड़ी वाले वृक्ष, बांस, सागौन, आम, जामुन, अमरुद, संतरा, कटहल, जंगल जलेबी, आवला, नीम, सीताफल आदि।</i>	<p>क) खाद बाहर से मंगाई जाएगी।</p> <p>ख) 45cm X 45cm X 45cm के गड्ढे 3 मीटर की दूरी पर खोदे जाएंगे</p> <p>ग) केतकी, नीम, बबूल, सफेद अरंडी एवं स्थानीय प्रजातियों की बीज बुवाई की जायेगी।</p> <p>घ) 45 सेमी चौड़ी ट्रेंचेस विकसित की जाएगी।</p> <p>ङ) केतकी, को ट्रेंचेस के किनारे बोया जाएगा।</p> <p>च) खदान क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाने का प्रस्ताव किया गया है और इसकी लागत उल्लेख ईएमपी बजट शीट में किया गया है।</p>
<p>ख- परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण परिवहन मार्ग किनारे कुल 600 पौधे रोपे जाएंगे।</p>			
वर्ष	स्थान	वृक्षों के नाम	टिप्पणी

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रथम वर्ष	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग 670 मीटर तक मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- <i>करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू, पीपल</i> आदि।	<p>क) 70 सेमी X 70सेमी X 70 सेमी का गड्ढा 3 मीटर की दूरी पर खोदा जाएगा।</p> <p>ख) वृक्षारोपण के लिए खाद बाहर से खरीदी जाएगी।</p> <p>ग) पौधों को सुरक्षा के लिए 1.0 से 1.5 मीटर ऊंचाई के ट्री गार्ड से कवर किया जाएगा और उसी की लागत का उल्लेख वार्षिक ईएमपी बजट शीट में किया गया है।</p>
------------	--	--	--

घ – ग्रामीणों में पौधों का वितरण

पहले वर्ष में ग्रामीणों में कुल 600 पौधों का वितरण किया जाएगा

वर्ष	स्थान	वृक्षों के नाम	टिप्पणी
पहले वर्ष	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- <i>अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा</i> आदि।	आस पास के ग्रामवासियों को पौधों का वितरण उनकी इच्छानुसार ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जावेगा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

37. Case No. 10577/2023 Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001 Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [438856] [DEIAA] (B2)

प्रकरण सेक की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

प्रस्तावित खदान का सेक की 704वीं बैठक दिनांक 19/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Surendra Jain, Lessee** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई. तनवीर मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [438856] [DEIAA].
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-1128, एरिया- 2.00 ha., निजि भूमि,
परियोजना स्थल	ग्राम- मिसीगांव, तहसील - चितरंगी, जिला- सिंगरौली, (म.प्र.).
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. दिनांक 25/09/2015.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Short Hole Blasting (As per Parivesh Portal).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू)	DEIAA Singrauli EC issued vide letter No. 105 dated 24/05/2016.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

हो)	
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 18,628 घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/नगर निगम की अनुमति	ग्राम पंचायत- मिसीगांव, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र. 16 दिनांक 16/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के दक्षिण पश्चिम की ओर वृक्ष आच्छादित हैं।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	लीज क्षेत्र के पश्चिम सीमा से हालेज रोड निकल रही है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक – 43 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कार्य करते हुए डिया ई.सी. में जारी शर्तों का पूर्ण रूप से सम्पादन नहीं किया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें समिति समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए ।

समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं आस-पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

प्रकरण आज सेक की 765 वीं बैठक दिनांक 07/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

Fencing: 70% completed

Plantation: Almost equal to the conditions as per DEIAA EC which includes distribution of plants to villagers

Garland drain: Not yet constructed. However, we commit to construct the garland drain along with settling tank just after obtaining the CTO within 6 months.

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में 200 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

- लीज में स्थित पेड़ों की संख्या – 160 है इनमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **पत्थर – 18,628 घन मी/वर्ष** ।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
- 5- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.01 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 660 m Long) 1. Two Settling Tanks are of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	1,20,000	10,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 900m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	2,70,000	25,000
4	AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr Soil@10000/yr	NIL	50,000
5	Installation of LED lights to mitigate the Carbon Footprint (Emission)		5,000
6	Total Plantation 1,800 trees		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 150rs./tree 1st year -up to 660 m periphery of Mine lease boundary (400 nos)	60,000	5,000
		Capital	Recurring
	B. Outside the Lease Area (along approach road, and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year - total 900 nos (800 on evacuation route up to 900 m both sides(@ Rs 500/tree) + 100 no in village area (@Rs 250/tree) 1st year – 500 nos to be distributed to villagers (@Rs 50/tree)	4,00,000+ 25,000 25,000	40,000
	D. Sowing of the Dhatkumari slips, Prosobis seeds & Agew along the excavated garland drain.	20,000	1,500
7.	PUC certification of vehicles (2 Dumpers @ Rs 500 per vehicle twice a year)	-	2,000
Labour welfare			
8.	Drinking Water Facility and rest shelter (10 x 10 ft.) with solar light	40,000	4,000
		Capital	Recurring
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 10000 x 2	20,000	2,000
10.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc. 10 x 2000)	20,000	4,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

Emergency Rescue Plan			
12.	Fire Fighting Equipments (1 No) @ 9500 / fire fighting and first aid @ 500 per kit	10,000	1,000
13.	Safety signage and warning boards like red flags, cones & reflectors etc.	2000	500
Solid Waste Management			
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3000	4000
	b) Pit and Composting	3000	
	c) Transport of Dry Waste	4000	
Total		10,22,000	2,01,000

PROPOSED PLANTATION

क- बैरियर जोन में वृक्षारोपण			
बैरियर जोन के अंतर्गत कुल 400 पौधे रोपे जाएंगे			
वर्ष	स्थान	वृक्षों के नाम	टिप्पणी
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 660 मीटर परिधि तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- <i>इमारती लकड़ी वाले वृक्ष, बांस, सागौन, आम, जामुन, अमरुद, संतरा, कटहल,</i>	क) खाद बाहर से मंगाई जाएगी। ख) 45cm X 45cm X 45cm के गड्ढे 3 मीटर की दूरी पर खोदे जाएंगे ग) केतकी, नीम, बबूल, सफेद अरंडी एवं स्थानीय प्रजातियों की बीज बुवाई की जायेगी। घ) 45 सेमी चौड़ी ट्रेंचेस विकसित की

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		जंगल जलेबी, आवला, नीम, सीताफल आदि।	जाएगी। ड) केतकी, को ट्रेंचेस के किनारे बोया जाएगा। च) खदान क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाने का प्रस्ताव किया गया है और इसकी लागत उल्लेख ईएमपी बजट शीट में किया गया है।
--	--	--	--

वर्ष	स्थान	वृक्षों के नाम	टिप्पणी
------	-------	----------------	---------

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रथम वर्ष	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 800 मीटर तक ग्राम क्षेत्र में लगभग 100	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- <i>करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू, पीपल</i> आदि।	क) 70 सेमी X 70सेमी X 70 सेमी का गड्ढा 3 मीटर की दूरी पर खोदा जाएगा। ख) वृक्षारोपण के लिए खाद बाहर से खरीदी जाएगी। ग) पौधों को सुरक्षा के लिए 1.0 से 1.5 मीटर ऊंचाई के ट्री गार्ड से कवर किया जाएगा और उसी की लागत का उल्लेख वार्षिक ईएमपी बजट शीट में किया गया है।
प्रथम वर्ष	ग्रामीणों में 500 पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- <i>अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा</i> आदि।	आस पास के ग्रामवासियों को पौधों का वितरण उनकी इच्छानुसार ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जावेगा

Particulars	Amount
प्रस्तावित सीईआर के लिए, गांव के स्कूल के पालक शिक्षक संघ के खाते में 70, -/000रुपये की राशि जमा की जाएगी।	70,000/-

38. Case No. 11045/2023 Shri Ajay Pandey, Owner, R/o H.No. 201, Ward No. 11, Gram-Sujapur, Tehsil-Polloda, District-Ratlam (MP)-457333, Prior Environment Clearance for Sujapur Crusher Stone & M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-7524, M-Sand-7524 cum per year) (Khasra No. 348/1), Village-Sujapur, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) [451322] (B2)

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Ajay Pandey S/o Shri Bhagwatilal Panday** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा.लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया –

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज								
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना /कंपनी /संस्था का नाम व पता	Shri Ajay Pandey S/o Shri Bhagwatilal Panday, R/o 201, Village-Sujapur, Tehsil- Piploda, District-Ratlam (M.P.) – 457001 Prior Environment Clearance for Sujapur Crusher Stone & Sand Quarry in and area of 2.00 ha. Khasra No.- 348/1), Village-Sujapur, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) 457001								
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नंबर– 348/1	एरिया–2.00 ha. Private land							
स्थल	ग्राम– सुजापुर, तहसील–पिपलौदाए जिला–रतलाम (म.प्र.)								
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1939 दिनांक 05/09/2023 के द्वारा स्वीकृत।								
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	--Nil--								
स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृति क्षमता एवं मात्रा	वर्ष– 2023, स्टोन – 7524 घनमी/वर्ष & M-Sand 7524 घन मीटर/वर्ष								
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृति क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा	--Nil--								
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान हो रहे हैं।								
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ब्लास्टिंग</th> <th>अथवा</th> <th>रॉक ब्रेकर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हाँ</td> <td></td> <td>नहीं</td> </tr> </tbody> </table>			ब्लास्टिंग	अथवा	रॉक ब्रेकर	हाँ		नहीं
ब्लास्टिंग	अथवा	रॉक ब्रेकर							
हाँ		नहीं							
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2								
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – सुजापुर दिनांक – 25/12/2023								
डिय ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	--Nil--								
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	--Nil--								
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	स्टोन – 7524 घनमी/वर्ष & M-Sand 7524 घन मीटर/वर्ष								
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2793 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत नहीं हैं।								
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2793 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।								
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2793 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक								

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

	संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / नगर निगम की अनुमति	ग्राम पंचायत- सुजापुर जिला- रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/05/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
ग्राम PEAS के अंतर्गत है या नहीं	हाँ
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र के अंदर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों की संख्या -10 ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उसका विवरण - शून्य
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/2343/खनिज/2023-24 रतलाम दिनांक 21/09/2023 में उल्लेखित किया गया है कि अग्रिम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) में उक्त उत्खनिपट्टा को सम्मिलित कर जी जावेगी।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में लगभग 220 मीटर पर सड़क है। दक्षिण दिशा खाली मैदान है। पूर्व दिशा में लगभग 190 मीटर पर कच्ची सड़क है। पश्चिम दिशा में परियोजना प्रस्तावक की निजी जमीन है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	दिनांक 25/11/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/2343/खनिज/2023-24 रतलाम दिनांक 21/09/2023 में उल्लेखित किया गया है कि अग्रिम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) में उक्त उत्खनिपट्टा को सम्मिलित कर जी जावेगी।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	--Nil--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन - 7524 घनमी/वर्ष & M-Sand 7524 घन मीटर/वर्ष।

2- EMP TABLE -

S NO.	Particulars	Budget provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	Water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt. Cost for 300 days for 1.628 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 500/- per tanker	0	143000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

2	Cost of two Water tanker (3000 & 5000 -liter capacity) = 80,000/- Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 1.13 KLD @ 3 KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker	67800	54000
3	Discharge of waste water 300 days for 0.72 KLD @5KLD tanker capacity, Rupees 2000/per tanker	0	24000
4	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 200 m, Width 4.0m) @ 300Rs. /Meter	60000	6000
5	Monitoring (Air, Water & Noise)	0	40000
6	Grazing Land	20000	10000
7	Wire Fence 814 m x 500/- meter	407000	40700
Plantation in consultation with DFO & Gram Panchayat and conversion of to Grazing land as far as possible.			
A	In Safety Barrier Zone = 550 No. of plant@150/-per plant=82500	82500	30000
B	Both sides of Approach Road= 200 No. of plants @ avg/-200 per plant.=40000	40000	
C	1750 Nos. of saplings will be distributed to the nearby villager's @Rs50 /tree.=87500	87500	0
Labour welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet) = 150 sq.ft	20000	2000
7	Portable toilets for Male & Female (2 for Each)	50000	20000
8	Occupational health Survey 25 labour @ 500 Rs./labour Rs./twice per year @500 x 2 x 25	0	2500
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 25 labor @1200 Rs.	30000	3000
Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Kit/Emergency Response Kit 3 Nos	5000	1000
11	Fire Safety 2 Nos @30000	60000	3,000
Solid Waste Management			
12	a) Bins 2Nos @ Rs 1500 each	1500	5,000
	b) Transport of Dry Waste	5,000	
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	0	25,000
14	Signage and Caution Board	5000	1000
Carbon Sequestration			
15	LED Bulb distribution to the villager of Sujapur	10,000	10,000
	Total	936300	410200

**765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024**

3- CER TABLE -

S.No.	Particular	Amount
1	अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुजापुर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	50000
Total		50000
उपरोक्त लिखित धनराशि प्रस्तावित परियोजना से सम्बंधित गांव के पालक शिक्षक संघ में भू-प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा कर इसकी सूचना माइनिंग आफिसर को दी जावेगी		

4- Plantation in other area.-

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

ग्राम सुजापुर में लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या 2400			
क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5m.)	सागौन एवं बांश	550
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कदम, चिरोल, कचनार] नीम पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ट्री-गार्ड के साथ	200
3	सुजापुर के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल, नीबू महुआ अमरुद, नीम, कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	1650

39. Case No.11104/2023 SMT. LATA MERAWAT, R/o Gram Khachartodi, post-Panchkui, khachhartodi, District- Jhabua (MP)-457779. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.80 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 38), Village-Bheem Faliya, Tehsil-Jhabua, District-Jhabua (MP) [451962] [DEIAA] (B2)

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 07/05/24 को रखा गया, जिमसे परियोजना प्रस्तावक LATA MERAWAT ONLINE एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	LATA MERAWAT, lease owner, R/o- Gram Khachartodi, post- Panchkui, khachhartodi, District- Jhabua (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	38 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.80 hectare.
स्थल	Village -Bheemfaliya, Tehsil and District -Jhabua,(M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक 7100-01 खनिज/न.क्र. 01/उ0प0/गुप-01/2021, भोपल दिनांक 17/06/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लैस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित नहीं है । रॉक ब्रेकर दवरामाईनिंग कार्य किया जावेगा । पत्र क्रमांक 39793 दिनांक 14/05/2024	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 51 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर-5,700 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-5,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-5,700 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 717 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	कुल रकबा 03.41 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 717 दिनांक 04/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 717 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्वजनिक संस्थान, धार्मिक स्थल में स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भीमफलिया जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 15/12/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशरलीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Total Tree in lease area- 12 No Tree Felling
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्की सड़क 60 मीटर पर 40 मीटर का सेटबैक देते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है।
	पश्चिम दिशा- 148N पक्की सड़क लगभग 140m पूर्व दिशा में मानव बसाहट 353 मीटर पर दक्षिण दिशा में मानव बसाहट 219 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। 40% done
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसकी रेस्टोरेशन की लागत इ म पी में शामिल है। अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	Garland drain 30% done अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	.पिट्स में बैचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में 600 नये पौधे भी लगाये गये है। नर्सरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा भीमफलिया के प्राथमिक विद्यालय में बैग, स्लेट, पेन्सिल, रबर, कॉपी, कलर, इत्यादि का वितरण किया गया है जिसका साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—5,700 घनमीटर/वर्ष ।
2. परियोजनाप्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेटर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेटर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेटर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगा ।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेटर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना में क्रेटर प्लांट की लागत रु. 8.60 लाख एवं क्रिस्टल रिंगर की लागत रु. 4.62 लाख प्रति वर्ष ।

	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1(b)	Cost of water of 3,000ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	1,35,000
2	Garland Drain is proposed (309mx 1.5mx1.5m) Settling tank is 10m x 4m x 1.5 (02 no.)	100,000	15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (66mx 5m) @500/sqm	99,000	9,900
4	Barbed fencing (670m x Rs.300)	2,01,000	20,100
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation –600 plants for One years 600 xRs.200= Rs. 1,20,000/-	2,37,500	23,750
	Plantation within approach road @ Rs. 500/plant Total plantation 150 plants for one years 150xRs.500= Rs 75,000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 850 Plants for one year (850 XRs. 50)= Rs. 42,500/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	NIL	1,50,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 06-07 labour @Rs.10,000/cooler) & Rs.2000/year for maintenance	Already installed	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	Already constructed	3,000
9	Medical Check-up for 6-07workers @500/worker (twice in a year)	NIL	8,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	Already installed	2,000
11	PPEs for other mining operations for 06-07worker @ Rs. 1500/worker	10500	4,350
12	Shelter rooms for labors (06*10)=60 Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha @9000	Already constructed	4,800
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 2 trucks @1000/truck	NIL	4,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	Outside of the lease area	
18	Vocational trainings for 07-08 workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	NIL	4000
19	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	20,000	20,000
20	Restoration of barrier zone and any other activity	1,00,000	
	Total	8,60,000/-	462,900/-

6 सी.ई.आर.मदमेंनिम्नानुसाररशि रु. 0.1 लाख तथा सी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यआगामी 01 वर्षमेंपूर्णकियेजाये :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

सी.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम भीमफलिया के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की शिक्षा के लिए , अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	रु 50,000 /—
ग्राम भीमफलिया के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि प्रथमवर्ष में किया जायेगा।	रु 70,000 /—
योग	1,20,000 /—

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1620 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
	गैर खनन क्षेत्र में		100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं कुसुम अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	150
3	शासकीय विद्यालय भीमफलिया में	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	20
5	भीमफलिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कुसुम, गुलमोहर।	850
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवंलीजअवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृतपौधों का बदलाव खनन अवधि तककियाजाये । गरलेण्डड्रेनतथासेटलिंगटैंक के बंडपरस्थानीय बीजबोर्डाईकरउनकासंरक्षणकियाजाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों मेंपौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवितव्यक्ति का नाम एवंप्रजाति का विवरणदेतेहुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालनप्रतिवेदनमें शामिलकरेंगे ।			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवंसमीक्षा के आधारपरउपरोक्तविशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना कोपर्यावरणस्वीकृतिजारीकरने की अनुशंसा की जातीहै।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

40. Case No P2/718/2024, Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-04/2022] (MP). Prior Environment Clearance for Townships/ Area Development Projects at Nimanwasa & Kothimahal, Ujjain (MP). Total area - 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects. FoR-TOR.

This is the case of Prior Environment Clearance for Area Development Projects at Nimanwasa & Kothimahal, Distt. - Ujjain (MP). Total area - 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land.) Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

- Earlier 744th SEAC Meeting Dated 29/04/2024 ToR Recommended.
- Case forwarded to SEAC vide 854th -B MPSEIAA Meeting dated 27/05/2024. wherein following points are mentioned:- .

1. उक्त प्रकरण उज्जैन विकास प्राधिकरण, द्वारा उज्जैन क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत ग्राम निमनवासा और कोठीमहल उज्जैन (एमपी) में 'नगर विकास योजना (टीडीएस-04/2022)' को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 1194430.00 वर्गमीटर (119.443 हेक्टेयर) है, जिसमें से 1152810.00 वर्गमीटर (115.281 हेक्टेयर) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल पुनर्गठित भूमि (Reconstituted land) है।
2. चूंकि परियोजना का पुनर्गठित भूखंड क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है, अतः ईआईए अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 1533 (ई) दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार यह परियोजना अनुसूची 8(बी) की श्रेणी बी1 "टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ" के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किया जाना है।
3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 744 वीं दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 98 से 102 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 744 वीं दिनांक 29.04.2024 की अनुशंसा उपरांत प्रकरण पर प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि गूगल इमेज से प्रतीत हो रहा है, कि परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, SEAC द्वारा प्रकरण को ToR स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है परन्तु निर्माण के सम्बन्ध में कोई अवलोकन नहीं किया गया है, अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Violation सम्बन्धित पुष्टिकरण हेतु SEAC प्रेषित किया जाये।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

Hence, in this above context this case was scheduled for presentation in the SEAC in its 765th meeting dated 07/05/2024 wherein Environmental consultant Shri Krishana Chandra Panda (online) and Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority (online) .

During presentation PP submitted following points w.r.t. above SEIAA points;

- Ujjain Development Authority has proposed an area development project named “Town Development Scheme [TDS-04/2022]” at Village: - Nimanwasa & Kothimahar, Ujjain (MP) at Ujjain, M.P.
- The total boundary area earmarked for TDS-04 in approved T&CP map no. क्रमांक NIL/नगानि/उविप्रा-TDS-4/2023 कैम्प-भोपाल Dated 05/09/2023 is 119.443 Ha. Out of the total area, area reconstituted for the town development scheme is 115.281 Ha. The remaining area is 2.562 Ha, which is sanctioned under Abadi Area/Settlement area & rest 1.6 Ha is under Govt land for nahar/nala marked and sanctioned in the approved T&CP plan submitted online.
- **Ujjain Development Authority has applied for Environmental Clearance for 115.281 Ha area only, which is the reconstituted area. The Abadi area/ settlement area (which comes under Indira awas area & other constructed area) is not a part of our EC/ToR application.**
- **Ujjain Development Authority has not started any construction works/activities as per their scope. The constructed area visible as per google image is already existing Abadi/Settlement. No construction has been done by Ujjain development Authority, hence, there is no violation of the project.**
- The project will include the construction of infrastructure works like road networks (30m, 24m, 18m, 12m, 9m, and 3m pathway), water, sewerage & STP, Electric substations & open areas/green areas. There will be no construction done by the Ujjain Development Authority other than the scope mentioned above.
- Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14.09.2006.

PP also submitted that a minor correction required in the Minutes of Meeting of 744th SEAC Meeting Dated 29/04/2024 as below;

Title of the project mentioned under MoM should be read as follows;

Case No P2/718/2024, Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-04/2022] (MP). Prior Environment Clearance for Townships/ Area Development Projects at Nimanwasa & Kothimahar, Ujjain (MP). Total area - 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects. FoR-TOR.

This is the case of Prior Environment Clearance for Area Development Projects at Nimanwasa & Kothimahal, Distt. - Ujjain (MP). Total area - 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land.) Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

उपरोक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को समिति द्वारा मान्य करते हुये चर्चा उपरांत पूर्व सेक की बैठक 744 वीं दिनांक 29.04.2024 द्वारा प्रकरण को टॉर स्वीकृति हेतु अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

41. Case No P2/717/2024, Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-03/2022] (MP). Prior Environment Clearance for Townships/ Area Development Projects Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). Total area - 1249310.00 Sq.m (124.931 Ha.), out of which 1148830.00 Sq.m (114.883 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects. TOR

This is case of Prior Environment Clearance for Area Development Projects Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). Total area - 1249310.00 Sq.m (124.931 Ha.), Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

- Earlier 744th SEAC Meeting Dated 29/04/2024 ToR Recommended.
- Case forwarded to SEAC vide 854th -B MPSEIAA Meeting dated 27/05/2024 wherein following points are mentioned:- .

- उक्त प्रकरण उज्जैन विकास प्राधिकरण, द्वारा उज्जैन क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत ग्राम निमनवासा, धतरावदा, नागझिरी और लालपुर, उज्जैन (एमपी) में नगर विकास योजना (टीडीएस-03/2022) को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 1249310.00 वर्गमीटर (124.931 हेक्टेयर) है, जिसमें से 1148830.00 वर्गमीटर (114.883 हेक्टेयर) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल पुनर्गठित भूमि (Reconstituted land) है।
- चूंकि परियोजना का पुनर्गठित भूखंड क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है, अतः ईआईए अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 1533 (ई) दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार यह परियोजना अनुसूची 8(बी) की श्रेणी बी1 "टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ" के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किया जाना है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 744 वीं दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरणपृष्ठ क्र. 96 से 98 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 744 वीं दिनांक 29.04.2024 की अनुशंसा उपरांत प्रकरण पर प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि गूगल इमेज से प्रतीत हो रहा है, कि परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, SEAC द्वारा प्रकरण को ToR स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है परन्तु निर्माण के सम्बन्ध में कोई अवलोकन नहीं किया गया है, अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Violation सम्बन्धित पुष्टिकरण हेतु SEAC प्रेषित किया जाये।

Hence, in this above context this case was scheduled for presentation in the SEAC in its 765th meeting dated 07/05/2024. Wherein Environmental consultant Shri Krishana Chandra Panda (online) and Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority (online) .

During presentation PP submitted following points w.r.t. above SEIAA points;

- Ujjain Development Authority has proposed an area development project named “Town Development Scheme [TDS-03/2022]” at Village: - Nimanwasa, Lalpur, Nagihiri & Dhattravada, Ujjain (MP) at Ujjain, M.P.
- The total boundary area earmarked for TDS-03 in approved T&CP map no. 1365 dated 06.10.23 is 124.931 Ha. Out of the total area, area reconstituted for the town development scheme is 114.883 Ha. The remaining area is 10.048 Ha, which is the Abadi Area/Settlement area marked and sanctioned in the approved T&CP plan submitted online.
- Ujjain Development Authority has applied for Environmental Clearance for 114.883 Ha area only, which is the reconstituted area.** The Abadi area/ settlement area [land (area) within the developed planning area approved in section 30] is not a part of our EC/ToR application.
- Ujjain Development Authority has not started any construction works/activities as per their scope. The constructed area visible as per google image is already existing Abadi/Settlement. No construction has been done by Ujjain development Authority; hence, there is no violation of the project.**
- The project will include the construction of infrastructure works like road networks (30m, 24m, 18m, 12m, 9m, and 3m pathway), water, sewerage & STP, Electric substations & open areas/green areas. There will be no construction done by the Ujjain Development Authority other than the scope mentioned above.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

- Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14.09.2006.

उपरोक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को समिति द्वारा मान्य करते हुये चर्चा उपरांत पूर्व सेक की बैठक 744 वीं दिनांक 29.04.2024 द्वारा प्रकरण को टॉर स्वीकृति हेतु अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

42. Case No. P2/350 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.000 Hectare, Khasra No.- 233, in Village - PALASPANI, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 18000 cum per annum .

762 वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की पूर्व बैठक दिनांक 03 जून 2024 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है।

43. Case No. 1713/2013 Shri Sanjay Kumar Agrawal Director M/s Hind Energy And Coal Beneficiation (India) Limited, Reg. office Hind Home, Sai Parisar, Commercial Complex, Srikant Verma Marg, Bilaspur, CG. Applied for Transfer of Environmental Clearance of Bijuri Coal Beneficiation Plant Located at 82, 84, 85/1, 85/2, 104, 105/1, 85/1, Part, 105/1 Part, 79, 93, 92, Village Mantola, Tehsil Kotma, Distt. Anuppur (M.P.). SIA/MP/CMIN/478513/2024(Transfer of EC).

प्रस्तावित खदान Transfer of EC के अंतर्गत श्रेणी के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

PP submitted following details on the praivesh portal.

SN	Projects Details
----	------------------

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1.	Online Proposal No	SIA/MP/CMIN/478513/2024.						
2.	Proposal /Activity Name/ Location of Project	Shri SATISH KUMAR AGRAWAL, Director, M/s Hind Energy and Coal Benefication (India) Limited, HIND HOME, 1ST FLOOR, SAI COMMERCIAL COMPLEX, SHRIKANT VERMA MARG, BILASPUR (CHHATTISGARH) - 495001. Capacity : Coal Benefication – 0.9 MTPA , <i>Transfer of Environment clearance from M/s. Radiant Coal Benefication Pvt. Ltd. (Formerly Sharda Maa Enterprises), Rakwa 8.1 Hect., Vill. Mantola Teh. Kotma, Distt. Anuppur, PIN 484 440 (M.P.) to Shri SATISH KUMAR AGRAWAL, Director, M/s Hind Energy and Coal Benefication (India) Limited, at Khasra No. - 82, 84, 85/1, 85/2, 104, 105/1, 105/2, 85/1 (p) 105/1 (p) , 79, 93,99, 92, Village - MAINTOLA, Teshil – Kotma, , Dist. – Anuppur (M.P.). Total Land Area- 8.1Ha., <u>Cat.: 2(a) Coal Washeries Plants.</u> SIA/MP/CMIN/478513/2024.</i>						
3.	Transfer of EC Apply	Application for Transfer of EC- Form -7.						
4.	Previous EC details	MPSEIAA Case No. 1713/2013, EC issued vide letter No. 5086/SEIAA/2017 dated 24/01/2017.(Online Copy uploaded by PP). ➤ Prior Environmental Clearance for 8.1 Ha. Coal Washery at Village - Mantola, Tehsil - Kotama, Distt. - Anuppur (M.P.).						
5.	Transferor (Holder of earlier EC)	Sharda Ma Enterprises Pvt. Ltd. Kanchenjunga Building, UGF 1 & 2, 18 Barakhamba Road, New Delhi-110001						
6.	PP Request Apply letter	PP Apply vide letter No. Nil dated 02/06/2024.						
7.	Transferee (To whom the transfer of EC is being sought)	Shri SATISH KUMAR AGRAWAL, Director, M/s Hind Energy and Coal Benefication (India) Limited, HIND HOME, 1ST FLOOR, SAI COMMERCIAL COMPLEX, SHRIKANT VERMA MARG, BILASPUR (CHHATTISGARH) - 495001.						
8.	Description of Project	WE ARE APPLYING FOR TRANSFER OF EC, FROM M/S RADIANT COAL BENEFICATION PRIVATE LIMITED TO TO "HIND ENERGY AND COAL BENEFICATION (INDIA) LIMITED.						
9.	Reason thereof	Current proposal is for EC transfer only.						
10.	Date of latest consent issued	AW-56221, Consent issued date 30-06-2022. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Product</th> <th style="width: 30%;">Qty / year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coal Benefication -</td> <td style="text-align: right;">900000.00 MT/</td> </tr> <tr> <td>D.G. set (captive use only)</td> <td style="text-align: right;">500 KVA</td> </tr> </tbody> </table>	Product	Qty / year	Coal Benefication -	900000.00 MT/	D.G. set (captive use only)	500 KVA
Product	Qty / year							
Coal Benefication -	900000.00 MT/							
D.G. set (captive use only)	500 KVA							
11.	Validity of latest consent (valid up to)	Valid up to 31-05-2027.						
12.	No Objection from the transferor	Submitted by Previous Owner <u>M/s. Radiant Coal Benefication Pvt. Ltd. (Formerly Sharda Maa Enterprises)</u> , Rakwa 8.1 Hect., Vill. Mantola Teh. Kotma, Distt. Anuppur, PIN 484 440 (M.P.) Previous EC details MPSEIAA letter No. 5086/SEIAA/2017 dated 24/01/2017.						
13.	Copy of Transfer of the firm from competent authority was granted.	Affidavit Submitted dated 31/05/2024 <u>Shri SATISH KUMAR AGRAWAL, Director, M/s Hind Energy and Coal Benefication (India) Limited</u> , HIND HOME, 1ST FLOOR, SAI COMMERCIAL COMPLEX, SHRIKANT VERMA MARG, BILASPUR						

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		(CHHATTISGARH) - 495001.
14.	Factory Licence details	License No.: 193/16069/ANP/2 m(i) NH Satna Dated 10/04/2024 (Online Copy Submitted by PP).

Earlier Prior EC issued to M/s Sharda Maa Enterprises Pvt Ltd. CASE NO. 1713/2013 VIDE LETTER NO. 5429/SEIAA/2015 DTD. 07/09/2015 for Bijuri Coal Beneficiation Plant, and the same has been transferred to M/s Radiant Coal Beneficiation Pvt. Ltd. Vide letter No. no. 5086/SEIAA/2017 dtd. 24/01/2017.

M/s Hind Energy And Coal Beneficiation (India) Limited, has applied for transfer of EC issued which was earlier issued to M/s Radiant Coal Beneficiation Pvt. Ltd. Vide letter No. no. 5086/SEIAA/2017 dtd. 24/01/2017 and submitted the following documents

- Affidavit from M/s Radiant Coal Beneficiation Pvt. Ltd. that they have no objection in transferring the EC in name of M/s Hind Energy And Coal Beneficiation (India) Limited.
- Affidavits regarding compliance of Conditions Stipulated in earlier EC
- Transfer of Lease
- NOC gram sabha.
- Copy of CTO

The matter of transfer of Environmental Clearance was considered in Add agenda of 765th SEAC Meeting dtd. 07/06/2024 after due scrutiny of the documents submitted by PP, and found satisfactory, and recommended for transfer of Environmental Clearance issued in Case No. 1713/2013 vide letter No. letter No. no. 5086/SEIAA/2017 dtd. 24/01/2017, for Bijuri Coal Beneficiation Lease area 8.1 ha, Capacity- 0.9 MTPA Coal Washery at Khasra No. 82, 84, 85/1, 85/2, 104, 105/1, 85/1, Part, 105/1 Part, 79, 93, 92, Village Mantola, Tehsil Kotma, Distt. Anuppur (M.P.) in name of **Shri Sanjay Kumar Agrawal Director M/s Hind Energy And Coal Beneficiation (India) Limited**, Reg. office Hind Home, Sai Parisar, Commercial Complex, Srikant Verma Marg, Bilaspur, CG. On the same terms and conditions, under which the prior EC was initially granted.

After deliberation committee decided to recommend the case for transfer of environment clearance from previous project proponent M/s. Radiant Coal

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

Benefication Pvt. Ltd. (Formerly Sharda Maa Enterprises), Rakwa 8.1 Hect., Vill. Mantola Teh. Kotma, Distt. Anuppur, PIN 484 440 (M.P.) To Shri SATISH KUMAR AGRAWAL, Director, M/s Hind Energy and Coal Benefication (India) Limited, at Khasra No. - 82, 84, 85/1, 85/2, 104, 105/1, 105/2, 85/1 (p) 105/1 (p) , 79, 93,99, 92, Village - MAINTOLA, Teshil – Kotma, , Dist. – Anuppur (M.P.). Total Land Area- 8.1Ha., Cat.: 2(a) Coal Washeries Plants. SIA/MP/CMIN/478513/2024.

44. Case No. P2/461 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.130 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - ARANYA, Tehsil - Jirapur, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 10800 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भािकांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भािकांत तिवारी कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 01 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 8.13 हे.
स्थल	ग्राम – अरन्या, तहसील –जीरापुर, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अरन्या रेत खदान, दिनांक-19/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अरन्या रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 10,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 10,800 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1093 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 8.13 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1093 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1093 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अरन्या जिला राजगढ़ के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	चापी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-20 एवं पेज नं.-59 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 8.130 हेक्टेयर चापी नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें दक्षिण दिशा में 35 मीटर की दूरी पर ब्रिज है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा “खनन क्षेत्र में ब्रिज, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत” प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

45. Case No. P2/447 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 17.210 Hectare, Khasra No.- 560, in Village - Parsana, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 16800 cum per annum?

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भास्करांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भास्करांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 560 (शासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 17.21 हे.
स्थल	ग्राम – पारसाना, तहसील – ब्यावरा, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पारसाना रेत खदान, दिनांक-25/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पारसाना रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 16,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 16,800 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1103 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 17.210 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1103 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1103 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पारसाना जिला राजगढ़ के अनापत्ती पत्र दिनांक 17/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	पार्वती नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-22,23 के सरल क्रमांक-27 एवं पेज नं.-60 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 17.210 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है, खनन क्षेत्र 2 हिस्सों में है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे। ADS

46. Case No. P2/462 ARJUN SHRIVASTAVA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 24.029 Hectare, Khasra No.- 222, in Village - AMBAJDID-4, Tehsil - Nasrullaganj, District - Sehore (MP), Maximum Production - 432522 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 222 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 24.029 हे.
स्थल	ग्राम – अम्बाजदीद-4, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अम्बाजदीद-4 रेत खदान, दिनांक-18/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अम्बाजदीद-4 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईई रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 4,32,522 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 4,32,522 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 456 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 64.923 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 88.952 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 456 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 456 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ म मान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन मील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अम्बाजदीद जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 24/03/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-05 एवं पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 24.029 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई, अतः खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान में गहराई 3.0 मीटर व डी.एस.आर. 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 360000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 360000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेगे।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(7100X150 = ₹10,65,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500 = ₹1,50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(12600X50 = ₹6,30,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (201 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	2,01,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 115	1,00,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker	--	40,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	(twice in a year) (For 115 Labors -115× 500 × 2)		
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 115 workers -115× 1500)	1,72,500	12,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000	2,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total		26,18,500/-	9,90,000/-

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.4 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पंचायत भवन अम्बाजदीद-4 के निर्माण कार्य हेतु 2,40,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	2,40,000
कुल	2,40,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 12600 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
----	----------------------------------	---------------------	--------

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

			(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	7100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	12600
कुल			20,000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

47. Case NO. P2/439 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.300 Hectare, Khasra No.- 187, in Village - KOTPARMAHANT-2 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 39600 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 187 (गासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 3.30 हे.
स्थल	ग्राम - कोटपारमहंत-2, तहसील - बरेली, जिला - रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कोटपारमहंत-2 रेत खदान, दिनांक-23/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कोटपारमहंत-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 39,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 39,600 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1210 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 21.210 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 24.51 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1210 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1210 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन मील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बाडीए जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-15 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 3.300 हेक्टेयर नर्मदा पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पश्चिम दिशा में अपस्ट्रीम पर 755 मीटर की दूरी पर ब्रिज है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा “खनन क्षेत्र में ब्रिज, स्थाई एवं अस्थायी संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, स्थाई एवं अस्थायी संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत” प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। **ADS**

48. Case No. P2/430 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 0.710 Hectare, Khasra No.- 545, in Village - NAYAKHEDA-2 , Tehsil - Deori, District - Raisen (MP), Maximum Production - 8520 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 245 (आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 0.710 हे.
स्थल	ग्राम – नयाखेड़ा-2, तहसील – देवरी, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नयाखेड़ा-2 रेत खदान, दिनांक-19/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नयाखेड़ा-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 8,520 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 8,520 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.099 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 7.809 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गोल क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-56 एवं पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-56 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 31/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 0.710 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

फरवरी 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 3.0 मीटर व माईनिंग प्लान में गहराई 2.0 मीटर दर्शाई गई है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 8520 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 8520 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये ।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	45,000
1(b)	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	75,000	15,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(510X150 = ₹76,500)	12,750
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(60X500= ₹30,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(420X50 = ₹ 21,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (4 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	4,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 10	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and	30,000	3,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	Rs. 3000/year for Maintenance.		
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10× 500 × 2)	-	10,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10workers -10× 1500)	15,000	3,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	4,78,500/-	3,06,750/-

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.44 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
नयाखेड़ा – 2 गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	44,000
कुल	44,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 570 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 420 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	510
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	60
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	420
कुल			990

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

49. Case No. P2/396 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.190 Hectare, Khasra No.- 422, 393, in Village - Surajpura, Tehsil - Barhi, District - Katni (MP), Maximum Production - 89136 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु पील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु पील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 422,393 (11सकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 6.190 हे.
स्थल	ग्राम – सूरजपुरा, तहसील –बरही, जिला – कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सूरजपुरा रेत खदान, दिनांक– 29/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सूरजपुरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 89,136 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 89,136 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2179 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 14.88 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.07 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2179 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2179 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा की बैठक नदावन, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	हलफल नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-43 एवं पेज नं.-42 के सरल क्रमांक-43 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 6.190 हेक्टेयर हलफल नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई । ब्रिज से सेटबैक देने पर 2.0 हे. छोड़ा गए एवं नदी के सतत जल प्रवाह को बनाये रखने हेतु 2.00 हे. अतिरिक्त क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ने पर 2.43 हे. माईनेबल एरिया बचता है । अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 2.4 मीटर व माईनिंग प्लान में गहराई 2.4 मीटर दर्शाई गई है को देखते हुये 58320 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 58320 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1500X150 = ₹2,25,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹ 1,00,000)	4,65,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2800X50 = ₹ 1,40,000)	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (41 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	41,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 49	40,000	8,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 49 Labors -49× 500 × 2)	-	49,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 49 workers - 49× 1500)	73,500	12,700
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000
			1,00,000
			-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	Total	9,34,500/-	4,92,200/-
--	--------------	-------------------	-------------------

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.8 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 1,80,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सुरजपुरा के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,80,000
कुल	1,80,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2800 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं	2800

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	अन्य स्थानीय प्रजातिया	
कुल		4500
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।	
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।	
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

50. Case No. P2/452 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.180 Hectare, Khasra No.- 01, 52/256, in Village - Pipaliya, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 17232 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भाि ाकांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भाि ाकांत तिवारी कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 01, 52/256 (तासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 7.18 हे.
स्थल	ग्राम – पिपलिया, तहसील – राजगढ़, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पिपलिया रेत खदान, दिनांक-21/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पिपलिया रेत खदान के लिए स्टैण्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 17,232 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 17,232 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 808 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 7.18 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 808 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 808 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम आन घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गैल क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे ऑन/दूरद ऑन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अरन्या जिला राजगढ के अनापत्ती पत्र प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नेवज नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक-11 एवं पेज नं.-64 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 7.180 हेक्टेयर नेवज पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें उत्तर दिशा में 2 कि.मी. दूरी पर ब्रिज है। नदी के सतत जल प्रवाह को बनाये रखने हेतु 3.5 हे. क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ने पर 3.68 माईनेबल एरिया बचत है। अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 0.4 मीटर व माईनिंग प्लान में गहराई 0.4 मीटर दर्शाई गई है को देखते हुये 14720 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट – 14720 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
1(b)	Water requirement- 2.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (400m in length × 5m in width)	1,20,000	24,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	1500X150 = 2,25,000/-	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	200X500 = 1,00,000	5,00,000 50,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	3500X50 = 1,75,000	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (8 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	8,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 6	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 8 Labors -6× 500 × 2)	-	6,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 6 workers -6 × 1500)	9,000	1,800
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste	10,000	2,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	management system			
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		8,90,000/-	3,78,800/-

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.7 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पंचायत भवन पिपलिया के निर्माण कार्य हेतु 70,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	70,000
कुल	70,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3500 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी	1500

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3500
कुल			5200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

51.Case No. P2/449 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.750 Hectare, Khasra No.- 79, in Village - JATI AKHEDA, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 21000 cum per annum

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भागिकांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भागिकांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 79 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल - 8.750 हे.
स्थल	ग्राम - जाटियाखेड़ी, तहसील - नरसिंहगढ़, जिला - राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जाटियाखेड़ी रेत खदान, दिनांक-21/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जाटियाखेड़ी रेत खदान के लिए स्टैन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 21,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 21,000	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 800 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 8.750 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 800 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 800 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन शील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खेजडामहाराजा के अंतर्गत ग्राम जाटियाखेड़ी जिला राजगढ़ के अनापत्ती पत्र दिनांक 17/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	पार्वती नदी
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

रिपोर्ट में स्थिति	सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-14 के सरल क्रमांक-04 एवं पेज नं.-56 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 8.750 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2021 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे । **ADS**

52.Case No. P2/404 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 14.730 Hectare, Khasra No.- 46, in Village - GODHANKAP, Tehsil - Barhi, District - Katni (MP), Maximum Production - 212112 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 46 (तासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 14.730 हे.
स्थल	ग्राम – गोधनकाप, तहसील –बरही, जिला – कटनी (म.प्र.)	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान, डी.एस.आर. एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गोधनकाप रेत खदान, दिनांक- 24/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा गोधनकाप रेत खदान के लिए स्टैण्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 2,12,112 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2,12,112 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2182 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 35.63 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 50.36 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2182 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2182 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा की बैठक नदावन, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-45 एवं पेज नं.-38 के सरल क्रमांक-45 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 14.730 हेक्टेयर नेवज नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूर्व दिशा में 2.8 कि.मी. दूरी पर ब्रिज है। नदी के सतत जल प्रवाह को बनाये रखने हेतु 3.17 हे. क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ने पर 11.56 हे. माईनेबल एरिया बचत है। अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 2.4 मीटर व माईनिंग प्लान में गहराई 2.4 मीटर दर्शाई गई है को देखते हुये 212112 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट - 212112 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>	15,85,000	158500
	Plantation at the boundary of the river. @ (6900X150=		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	Rs. 150/plant.	₹10,35,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500= ₹ 1,50,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(8000X50 = ₹ 4,00,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (98 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	98,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 113		90,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 113 Labors -113× 500 × 2)		-	1,13,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 113workers - 113× 1500)		1,69,500	10,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		23,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a		6,000	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.			
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000	2,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		25,03,500/-	9,46,500/ -

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पंचायत भवन गोधनकाप के निर्माण कार्य हेतु 2,00,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	2,00,000
कुल	2,00,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	6900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के	300

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

		साथ)	
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	8000
कुल			15200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

53.Case No. 11278/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Luharwara-2 Sand Quarry in an area of 7.00 ha. (105000 cum per year) (Khasra No. 505), Village-Luharwara, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [444522]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 505 (ग्रासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 7.00 हे.
स्थल	ग्राम – लुहरवारा, तहसील – बडवारा, जिला – कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम लुहरवारा-2 रेत खदान, दिनांक- 27/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा लुहरवारा-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,05,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,05,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2156 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 43.36 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 50.36 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2156 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2156 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट /चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं। आवेदित क्षेत्र से लगभग 400 मीटर पर एक भासकीय माध्यमिक विद्यालय है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा लुहरवारा, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2017 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	उमडार नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-47 एवं पेज नं.-34 के सरल क्रमांक-47 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 7.0 हेक्टेयर उमरार नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगलईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें नदी के सतत् जल प्रवाह को बनाये रखने हेतु 2.32 हे. क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ने पर 4.68 हे. माईनेबल एरिया बचता है। अतः खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान में गहराई 2.5 मीटर व डी.एस.आर. में गहराई 1.25 मीटर दर्शाई गई है को देखते हुये 58500 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 58500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये ।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2100X150 = ₹3,15,000)	55,500
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹ 1,00,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2800X50 = ₹ 1,40,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (49 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	49,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water	50,000	10,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 57		
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 57 Labors -57× 500 × 2)	-	57,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 57 workers - 57× 1500)	85,500	10,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000	2,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	13,46,500/-	7,38,500/-

11. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रू.में)
ग्राम लुहरवारा – 2 में रोड लाईट के लिए ।	40,000
लुहरवारा – 2 गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला	60,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

के विकास के लिए।	
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लुहरवारा – 2 के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	2,00,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2800 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2800
कुल			5100
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

54. Case No. P2/401 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 16.450 Hectare, Khasra No.- 01, 52, 402, in Village - Imaliya, Tehsil - Barawada, District - Katni (MP), Maximum Production - 276360 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु पील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु पील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. -1, 52 व 402 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 16.450 हे.
स्थल	ग्राम - इमलिया, तहसील -बडवारा, जिला - कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम इमलिया रेत खदान, दिनांक- 21/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा इमलिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 29/02/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 2,76,360 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2,76,360 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2159 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 20.29 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 36.74 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2159 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-471 आवेदित क्षेत्र से लगभग 58 मीटर की दूरी पर स्थित है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2159 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट लगभग 280 मीटर की दूरी पर स्थित है / वैश्विक संस्था लगभग 270 मीटर की दूरी पर स्थित है / चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

	संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बडवारा जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 20/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	उमरार नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-48 एवं पेज नं.-60 के सरल क्रमांक-08 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 16.450 हेक्टेयर उमरार पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें दक्षिण दिशा एक जल संरचना 1400 मीटर की दूरी पर है तथा खनन क्षेत्र के 50 मीटर दूरी पर फारेस्ट है। अतः परियोजना प्रस्तावक आयुक्त, जबलपुर संभाग की अध्यक्षता समिति से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। **ADS**

55.Case NO. P2/418 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 15.000 Hectare, Khasra No.- 398, in Village - ANDIYA, Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 398 (गासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 15.00 हे.
स्थल	ग्राम – अंडिया, तहसील –उदयपुरा, जिला – रायसेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अंडिया रेत खदान, दिनांक-12/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अंडिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1221 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.284 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 22.284 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1221 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1221 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंडिया, जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 21/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां ा भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-96 के सरल क्रमांक-30 एवं पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र कुल 15.0 हेक्टेयर नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें खनन क्षेत्र में अधिकांश जल भराव के कारण 2.74 हे. क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ने पर 12.26 हे. माईनेबल एरिया बचता है। अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 3.0 मीटर व माईनिंग प्लान में गहराई 2.0 मीटर दर्शाई गई है को देखते हुये 180000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 180000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये ।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(4300X150= ₹6,45,000)	11,65,000
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500= ₹1,50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(7400X50 = ₹ 3,70,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (84 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	84,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	8,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	--	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	12,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	25,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,90,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000
Total		16,76,000 /-	5,97,500 /-

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.2 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम अंडिया के ग्रामवासियों के लिए प्रत्येक छह माह में 1,20,000 रुपये की राशि से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें सभी ग्राम वासीयो की रक्तचाप, मलेरिया डेंगू एवं मधुमेह की निशुल्क जांच की जावेगी	1,20,000
कुल	1,20,000

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4600 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 7400 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	4300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	7400
कुल			12000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

56. Case NO. P2/454 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 11.122 Hectare, Khasra No.- 317, 373, 374, in Village - DABDI, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 26692 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री भास्करांत तिवारी (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भास्करांत तिवारी कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 317,373,374 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 11.122 हे.
स्थल	ग्राम – डाबडी, तहसील – राजगढ़, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम डाबडी रेत खदान, दिनांक-21/11/2023	

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा डाबडी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 13/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 26,692 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 26,692 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 778 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.122 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 778 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 778 दिनांक 13/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देहरीकराड़ जिला राजगढ़ के अनापत्ती पत्र दिनांक 07/08/2013 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का	नेवाज नदी ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

नाम ।	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19 के सरल क्रमांक-21 एवं पेज नं.-59 के सरल क्रमांक-21 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 11.12 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, अतः परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे । **ADS**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर चर्चा –

1. Case No P2/889/24 Shri VISHAL SHIVHARE, Project Proponent, Mig-2, Shopping Centre, Tila Jamalpur, District- Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Gitti and M sand in an area of 4.00 ha.) (Expansion from Gitti-61,348 m3 & Kopro-15,400 m3 to Gitti – 63,840 m3 & M sand- 63,840 m3) (Khasra No. 23/2/1, 23/2/2) Village- Dillod, Tehsil- Berasiya, Dist.- Bhopal (M.P.) SIA/MP/MIN/462629/2024 (B-2) Expansion

प्रकरण में समिति की पूर्व 761वीं बैठक दिनांक 30/05/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी । कार्यवाही विवरण में 30 मीटर गहराई माईनिंग प्लान में होना उल्लेखित हो गया है के स्थान पर वर्ष 2024-25 के लिए 30 मीटर गहराई और अनुमोदित खनन योजना अनुसार खदान की अधिकतम गहराई 39 मीटर के साथ ही उत्पादन क्षमता विस्तार Gitti-61,348 m3 & Kopro-15,400 m3 से Gitti – 63,840 m3 & M sand- 63,840 m3 पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2024

2. Case No. 9906/23 Shri VINAY BAHADUR SISODIYA, Proprietor of M/s Virendra Singh and Sons, R/o-Satendra Bhavan, Ramniwas Singh Marg, Bhatta Mohalla Katni, District- Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 17.44 ha. (Expansion from Limestone & Dolomite - 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA) (Khasra No. 211, 213/1, 213/2, 214 & 258) Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni (M.P.). [MIN/464676/2024]EIA

प्रकरण में समिति की पूर्व 762वीं बैठक दिनांक 03/06/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें Limestone-90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA त्रुटिवशवश उल्लेखित हो गया है, के स्थान पर Expansion from Limestone & Dolomite - 7045 TPA to Limestone-87600 TPA & Dolomite 11607 TPA पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।

3. Case No. P2/926/24 JULAL VASAVE, Lessee, R/o- Devdhar, Tehsil- Pansemal, District- Barwani (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (9700 cum per annum) (Khasra No. 52/1/1/K) Village MOYDA Tehsil Pansemal District Barwani (M.P.). [MIN/471340/2024 DEIAA-Re-appraisal] (B-2)

प्रकरण में समिति की पूर्व 762वीं बैठक दिनांक 03/06/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें –फर्शी पत्थर–9,700 घनमीटर/वर्ष त्रुटिवशवश उल्लेखित हो गया है, के स्थान पर पत्थर–9,700 घनमीटर/वर्ष पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
अध्यक्ष

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2024

plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2024

- iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and casualty replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacent agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should be allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

- report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2024

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्विंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बाँस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम उतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि

765वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2024

किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

11111 (SEAR)

Additional TOR points for Minor Minerals - In addition to Standard TOR

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared prescribing mitigative measures for air, water & noise pollution.

2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form

A- In government land

1. In barrier Zone
2. In non- mining area (set back)
3. Along evacuation route
4. And in other places
5. Distribution to nearest farmers species of fruit, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal Plants.
6. Reclaimed area by backfilling, benches, dumps etc.

B. In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

B- In Private land – fruit bearing plant (standard practice) or as P.P wants

C- Seed sowing in garland drain periphery of mine, bunds, canter trenches etc with local seeds.

3. **Set Back**– Show Ultimate Pit limit (Setback), Environment development plan, Geological/Development plan & Conceptual plan production plan with legend due to any changes in area as per the case sensitivity and according to present rules (NGT/CPCB guidelines).

1.	District Road	6	Railway line	11	Habitation,	16	ESZ area	21	water conservation structure
2.	Village Road	7	Wind mills	12	Temples	17	Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km	22	Trees inside the mine
3.	Public Road	8	Agriculture land	13	Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils Park and W.L. Niche/Archaeological Site if any,	18	Catchment area	23	Electric high tension line
4.	NH/SH	9	Natural drainage	14	Forest boundary /Revenue Forests	19	Stocked root (Area having)	24	Bridges /Culverts
5.	District Road	10	Nala/river/ Canal/ Tank/ Lake	15	1. Wildlife area /NP/WLS	20	Water conservation structures, stop dams	25	Tower , Shamshan
								26	Rare Endangered & Threatened Species (RET)

4. For blasting or for non blasting: if mine area lease within-

1. 250 m. of forest land or permitted area from Forest deptt.
2. ESZ areas, protected areas, Buffer area (Distance of site from the boundary)
3. If private land : Own/Agreement
4. Present depth of mine
5. Depth as approved in mining plan

6. In case of more depth then as given in mining plan sanction letter from DGMS Bhopal (Competent authority).
7. Proposed number of benches
8. Bench height and width
9. Conceptual depth of mine.
10. Water level
 - I. OWN
 - II. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 - III. Cost benefit ratio
 - IV. If grass land : grass land development & maintenance
 - V. Catchment of the major river & its protection plan.

5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.

- Wildlife conservation plan in case of scheduled specified species as per MoEF guideline found
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- CER activities: Certificate and photograph
- Dump areas
- Proposed Production as per mining plan, EC, CTO & Production Achieved certified by M.O.

(A) If – Crusher & M-sand plant is in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Layout plan showing proposed crusher / M-sand
2. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
3. Barrier area zone
4. Setback for sensitiveness
5. Garlanding drain
6. Settling tank with sizes according to water surface plan
7. Crusher area /M.sand plant / Slurry
8. Dumping area year wise
9. Green area /Barrier area & in non-mining area
10. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) If crusher is outside of mines

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. SITE VISIT REQUIREMENTS :

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources
5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6. Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)
6. Sacred groves
7. Archaeological sites

9. **CER Activities** (as per project feasibility report)

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. **EMP as proposed in tabular form**

11. **Mining Activitiy:**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Photograph of plantation, fencing, garlanding drain , settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on Layout plann to be enclosed
- slurry management

- Water requirement : Quantity & source

D. Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values

1. Stone - 10,000 m³/yr with crusher, 15000 m³ /yr without crusher
2. murum- 20,000 m³/yr
3. Clay – 30,000 m³/yr with kiln & chimney

F. Soil profile (Not less than 3 pits)– with Geotag Photos required as below

To lease area /nearby areas

Miscellaneous

A. Provision of fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr than provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

B. Waste Management elaborating usage & disposal

- In case of any change in method of mining, or change in Environment Plan, Geological Plan, Development plan, Production Plan, Conceptual Plan due to any sensitive features Approval from concern competent Authority.
- It there is difference in geo-coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR then DGPS report to be submitted approved by Mining Officer of concerned district.

सेतु खनन हेतु जारी स्टैंडर्ड टॉर

सेतु खनन हेतु जारी स्टैंडर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाकर प्रकरण विशेष से संबंधित ई.आई.ए की प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

संदर्भित पत्र जिन प्रकरणों के संबंध में स्टैंडर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार 11 अन्य टॉर बिन्दु के पालन करने के साथ ही Standard TOR जारी करने की अनुसंशा की जाती है :-

1. सेण्ड माइनिंग गाइड लाइन 2016 एवं 2020 के प्रावधानों का समावेश EIA में किया जायेगा।
2. मानवीय एनजीटी/हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का EIA में समावेश किया जाएगा।
3. क्षेत्र विशेष में जलीय जीव जन्तुओं की संवेदनशीलता के विषय में मतस्य विभाग का अभिमत लिया जावेगा एवं अभिमत के आधार पर इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जावेगा।
4. नदी क्षेत्र से 7.5 मीटर लगे वनस्पति/वृक्ष/झाड़ी को सुरक्षित रखा जावेगाए खनन कार्य से उन्हें होने वाली क्षति प्रभावी ढंग से रोकी जावेगी एवं प्रकरण विशेष को ध्यान में लाते हुए EIA में प्रावधान किये जावेगें।
5. खनन गतिविधियों के कारण जो Carbon footprint develop होगा, उनके प्रभाव दूर किये जाने के आधार पर प्रस्ताव EIA में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
6. नदी से सेण्ड गाईडलाइन के अनुसार 1 कि.मी. में यदि कोई बड़ा ब्रिज या अन्य संवेदनशील संरचना पायी जाती है तो इस हेतु सेतु निगम/PWD/RES से अनुमोदन प्राप्त कर EIA में प्रस्तुत किया जावेगा।
7. वृक्षारोपण/पौधा वितरण का कार्य सितम्बर/अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।

- Ann.
8. सामाजिक/आर्थिक विकास से संबंधित कार्य 1.2 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।
 9. खनिज का निकासी मार्ग EIA में दर्शित किया जाएगा ।
 10. गाइडलाइन्स अनुसार Sand replenishment Study की जाएगी ।
 11. EIA में DSR में दी गयी समस्त जानकारियों का समावेश किया जाएगा ।

Appraisal for DEIAA to SEIAA & B-1 Cases (As per Form - 1):

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents Issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे हों तो उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गirth के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्यभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवजू में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलन एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जाये।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि हिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

Standard ToR for Building Construction Project

For Duplex and Town Plantation

1. Total area
2. Total Green Area
3. Plantation Scheme
4. STP, BOD 3 mg/Liter से अधिक नहीं
5. STP type and capacity.
6. Estimated Power requirement.
7. Power consumption 30% of the total consumption in electricity.
8. Public utility facilities for maid/drivers.
9. Number of Parking & EV charging points
10. Population - No.
11. Solar lights
12. Tree inventory
13. Estimate Carbon footprint.
14. Carbon sequestration arrangement & mitigation plan.
15. Provision of Roof solar panel of each house.
16. Feeder Roads length & width.
17. Road side plantation with in the permission
18. Fencing/Boundary wall & plantation on periphery
19. Tree inventory if cutting no of tree to be
20. If no of trees more then Ecological loss study avian fauna study.
21. Number and capacity of D.G. Set.
22. In campus - if any commercial shops an there 1. Parking 2. Utility plans
23. If Any sensitive feature _____
24. Case to be appraised through recent Google image & back images.
25. Any Violation.

1. Multi Stored & Commercial Building

- I. Total Area
- II. Total height of the buildings
- III. Total plinth area
- IV. Green space, plantation scheme
- V. Distance between two tower
- VI. Number Floors
- VII. Sun path studies
- VIII. Total flats
- IX. Utilities for every floor
- X. Parking - Floor _____

Green flow – Total calculation no of vehicles

- XI. Number of EV Charging points
- XII. No of families
- XIII. Floating person
- XIV. Feeder roads length width
- XV. Fire protection total cost
- XVI. Rooting Rooms Toilets for maids etc.
- XVII. Present Google image
- XVIII. Back image also
- XIX. STP - BOD upto 3.0 mg/L
- XX. STP type and capacity.
- XXI. Rain harvesting system
- XXII. Solar panel 30% of total consumption by solar street lights
- XXIII. Estimated power requirement.
- XXIV. Estimated Carbon footprint.
- XXV. Carbon sequestration & mitigation
- XXVI. Any other sensitive feature.
- XXVII. Lawn, Green, Garden/Play ground etc.
- XXVIII. Earth Quake Zone.
- XXIX. Earth quake resistance provision.

Regarding shops

- I. Floating population
 - II. Utility facilities
 - III. Parking etc
- CER - As per Public Hearing
Physical/Costing

 - Year of plantation to be completed.
 - CER works completion time
 - Plants inventory / No of tree to be cut according with Google image
 - If any violation.
 - If no of cutting trees more than Ecological loss assessment to be studied.
 - No. of D.G. set & its Power
 - No. lifts/floor wise
 - In campus if any commercial shops
 - Then parking
 - Utility places
 - Fencing by Boundary wall & or Wire fencing
 - Periphery length & plantation – No. of Rows
Width of plantation.